[2022] 8 एस. सी. आर. 889

प्रकाश निगम

वी.

डी. ई. वी. ई. परियोजनाएँ सीमित

(सिविल अपील सं. 1318 2022 का)

14 फरवरी, 2022

[भोजन

माहेश्वरी और विक्रम नाथ, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: ओ. वी आर. 1 , O.VIII r. 1 , O.VIII r. 10 – लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय अवधि का विस्तार

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पारित और जारी किए गए आदेशों में से 21.12.2020 पर वादी-प्रतिवादी ने उनके खिलाफ धन का मुकदमा दायर किया अपीलार्थी-प्रतिवादी-22.06.2021 पर, निचली अदालत ने O.VIII r के आधार पर लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। 1 और अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने अपना अधिकार खो दिया था

फाइल लिखित विवरण-आयोजितः एस के आधार पर। 16 वाणिज्यिक न्यायालयों का

वाणिज्यिक न्यायालय को अधिनियम, 2015 में निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में मुकदमे के मुकदमे में अधिनियम द्वारा संशोधित सी. पी. सी. के प्रावधानों का पालन करना है।

ओ. वी. आर. 1 , O.VIII r. 1 , O.VIII r. 10 बता दें कि प्रतिवादी को समन की सेवा के 30 दिनों के भीतर लिखित बयान दायर करना है-यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे अदालत द्वारा दूसरे दिन दायर करने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, यह समन की सेवा की तारीख से 120 दिनों से अधिक नहीं जा सकता है, अन्यथा लिखित बयान दायर करने का अधिकार जब्त कर लिया जाएगा -

तत्काल मामले में, 120 वां दिन 06.05.2021 पर समाप्त हुआ, हालांकि, ये प्रावधान सामान्य और गैर-असाधारण रूप से काम करते हैं।

अदालतों के सामान्य कामकाज के साथ परिस्थितियाँ-कोविड-19 महामारी को देखते हुए, इस न्यायालय ने स्वतः संज्ञान याचिका में प्रावधान किया कि सभी कार्यवाहियों में सीमा की अवधि की गणना करते हुए,

सामान्य या विशेष कानूनों में निर्धारित, चाहे माफ करने योग्य हो या नहीं, 15.03.2020 से 02.10.2021 तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

इसलिए, इस अदालत द्वारा पारित आदेशों की प्रयोज्यता को लिखित बयान दाखिल करने के लिए निर्धारित अवधि के संबंध में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए, विषय मुकदमे में अपीलार्थी द्वारा लिखित

बयान दाखिल करने की समय सीमा 06.05.2021 पर समाप्त नहीं हुई, जब अपीलार्थी द्वारा 07.01.2021 पर नोटरीकृत लिखित बयान को रिकॉर्ड में लेने का आदेश दिया जाता है-वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. उसकी धारा 16 के आधार पर, वाणिज्यिक न्यायालय को अधिनियम द्वारा संशोधित सी. पी. सी. के प्रावधानों का पालन करना है।

विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी वाद के विचारण में। आदेश 5 नियम 1, आदेश 8 नियम 1 और आदेश 8 नियम 10 सी. पी. सी. ने न केवल लिखित बयान दाखिल करने के लिए सख्त समय-सीमा की परिकल्पना की है, बल्कि चूक के परिणामों के लिए भी प्रावधान किया है। लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय को निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाने के लिए न्यायालय की शक्तियों को सीमित करते हुए। के अनुसार

उक्त प्रावधानों का अधिदेशः (क) प्रतिवादी 30 के भीतर अपने बचाव का लिखित बयान दाखिल करने के लिए बाध्य है। समन की सेवा के दिन; (बी) यदि वह 30 दिनों की उक्त अवधि के भीतर लिखित बयान दायर करने में विफल रहता है, तो उसे ऐसे अन्य दिन लिखित बयान दायर करने की अनुमति दी जा सकती है जब न्यायालय लिखित बयान दायर कर सके।

लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों को निर्दिष्ट करें और ऐसे खर्चों के भुगतान पर जो न्यायालय लागू करे, लेकिन यह दूसरा दिन, किसी भी मामले में, सेवा की तारीख से 120 दिनों से अधिक नहीं जा सकता है। समन; (ग) सेवा की तारीख से 120 वें दिन की समाप्ति पर

समन, प्रतिवादी लिखित दाखिल करने का अधिकार खो देता है

बयान और कोई भी न्यायालय समन की सेवा की तारीख से 120 दिनों से अधिक समय बढ़ाने का आदेश नहीं दे सकता है। [पैरा 16] [916-ए-डी]

2. यदि उपरोक्त प्रावधान और बताए गए सिद्धांत हैं -

वर्तमान मामले के तथ्यों पर शाब्दिक और स्पष्ट रूप से लागू, समन की सेवा की तारीख से 120 वां दिन 06.05.2021 के साथ समाप्त हो गया और प्रतिवादी, जिसे पहले लागत के भुगतान पर अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय दिया गया था, ने 120 वें दिन, यानी 06.05.2021 के अंत में इस तरह के अधिकार को जब्त कर लिया। हालांकि, एस. सी. जी. अनुबंधों में उपरोक्त प्रावधान और उनकी व्याख्या अदालतों के सामान्य कामकाज के साथ सामान्य और गैर-असाधारण परिस्थितियों में काम करती है। सी. पी. सी. के उपरोक्त निर्दिष्ट प्रावधान कानून के एकमात्र प्रावधान नहीं हैं जो विशेष कार्यवाही के लिए अनिवार्य समय सीमा निर्धारित करते हैं। उनके सामान्य और सामान्य संचालन में प्रासंगिक सिद्धांत यह हैं कि इस तरह के वैधानिक

समयसीमा अनिवार्य चरित्र की होती है जिसमें विस्तार के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ बहुत कम या न ही विवेक होता है। [पैरा

3. उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए इस न्यायालय ने

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में समय-समय पर आवश्यक आदेश जारी करते हुए, दिनांकित 23.09.2021 आदेश में अंत में परिकल्पित अवधि को लिखित विवरण दाखिल करने के लिए भी सीमा की अवधि की गणना करने में बाहर रखा जाना आवश्यक है और उन मामलों में भी जहां देरी अन्यथा अक्षम्य है। यह दोहराया जाता है कि 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में आदेश असाधारण परिस्थितियों में असाधारण उपायों के थे और कानून के सामान्य संचालन के संदर्भ में उनके संचालन को कम नहीं किया जा सकता है। [पैरा 20.1] [921-सी-ई]

4. दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में 23.03.2020,06.05.2020,10.07.2020,27.04.2021 और 23.09.2021 पर पारित आदेशों में कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा विशेष और असाधारण उपाय प्रदान किए गए थे।

महामारी द्वारा डाली गई चुनौतियों के मद्देनजर न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना और लिखित बयान दाखिल करने के लिए निर्धारित अवधि के संबंध में उनकी प्रयोज्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह मान लेना अवास्तविक और अतार्किक होगा कि जबकि इस न्यायालय ने वाद की स्थापना के लिए अवधि को हटाने का प्रावधान किया है और इसलिए, अन्यथा सीमा से परे दायर किया गया मुकदमा (यदि सीमा 15.03.2020 से 02.10.2021 के बीच समाप्त हो गई थी) अभी भी 03.10.2021 से 90 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है, लेकिन लिखित बयान दाखिल करने की अवधि, यदि उस अवधि के दौरान समाप्त हो जाती है, तो प्रतिवादी के खिलाफ काम करना होगा। इसलिए, 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए, विषय मुकदमे में अपीलार्थी द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की समय सीमा 06.05.2021 पर समाप्त नहीं हुई। [पैरा 20.2,20.3] [921-ई-एच; 922-ए]

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पहाड़ी बहुउद्देशीय शीत भंडारण (पी) लिमिटेड (2020) 5 एस. सी. सी. 757: 2020 (4) जेटी 186;

(2019) 12 एससीसी 210: [2019] 3 एससीआर 1050-पर निर्भर।

एस. एस. ग्रुप प्रा. लिमिटेड वी. आदित्य जे. गर्ग और अन्न। 2020

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1050-संदर्भित।

[20

22] 8 :

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सगुफा अहमद और ओआरएस। वी. ऊपरी असम पॉलीवुड

उत्पाद प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। (2021) 2 एस. सी. सी. 317

2020 (9) जे. टी. 429; एस. कासी बनाम राज्य आपराधिक अपील सं।

452 2020 का निर्णय 19.06.2020, (2020) SCC पर लिया गया ऑनलाइन एससी 529-लागू नहीं किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 3 एससीआर 1050

उस पर भरोसा करें

पैरा

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 09.07.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 का डब्ल्यू. पी. (227) No.312 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का।

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड. , जोएल, राजेश राजपाल, सुश्री नेहा

अर्चित चौहान, ठाकुर आनंद मोहन सिंह, आयुष कौशिक, गौतम, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मनीष कुमार सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रवि भारुका, ऋषभबल

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

सामग्री

मुकदमे में प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू और कार्यवाही। वाणिज्यिक न्यायालय का आदेश दिनांक 22.06.2021।

प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान। कोविड-19 का प्रभावः .....

2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित आदेश

उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश।

लिखित विवरण और परिणाम दाखिल करने के लिए समय सीमा डिफ़ॉल्ट रूप से।

प्रकाश कॉरपोरेट्स बनाम. डी. ई. वी. ई. परियोजनाएँ सीमित [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित आदेशों का संचालन और प्रभाव 2020 से।

..... 33 *

जारी किए गए प्रशासनिक आदेश का प्रभाव और प्रभाव

उच्च न्यायालय द्वारा।

..... 46 *

विचारण न्यायालय द्वारा प्रक्रिया की एक और त्रुटि।

..... 49 *

..... 51 *

निष्कर्ष।

प्रारंभिक

छुट्टी दे दी गई।

2. इस अपील के माध्यम से, अपीलार्थी ने आदेश को चुनौती दी है

दिनांक 09.07.2021, जैसा कि 2021 के WP संख्या 312 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए और समय देने के लिए प्रतिवादी-अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय (जिला स्तर), नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा 2021 के दीवानी मुकदमा संख्या 01-B में पारित दिनांक 22.06.2021 के आदेश को बरकरार रखा है। प्रतिवादी-अपीलार्थी की प्रार्थना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 1 के परंतुक को देखते हुए, जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, प्रतिवादी को लिखित याचिका दायर करने का ऐसा अधिकार है।

बयान सेवा की तारीख से 120 दिनों की समाप्ति के साथ जब्त कर लिया गया था समन की।

2.1 . प्रतिवादी-अपीलार्थी ने इस प्रकार पारित आदेशों पर सवाल उठाया है

देश के सामने आने वाली चुनौतियों और कोविड-19 महामारी के कारण वादियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सीमा के सामान्य कानून के तहत या किसी विशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के

विस्तार के लिए, 2020 3 की स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 3 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में, विभिन्न आधारों पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा।

मुकदमे में प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू और कार्यवाही

3. अपीलार्थी पर इस अपील में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को देखते हुए

अपने लिखित बयान को दाखिल करने के अवसर के लिए प्रार्थना, सभी पर विस्तार

1 इसके बाद इसे 'सी. पी. सी.' भी कहा जाता है। 2 इसके बाद इसे 'अधिनियम' भी कहा जाता है। 3 इसके बाद इसे '2020 का एस. एम. डब्ल्यू. पी. नंबर 3' भी कहा जाता है। * एड। ध्यान दें: पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

22] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.1 . यह वाद अभिकथनों और अन्य प्रस्तुतियों से प्रकट होता है

कि इस मुकदमे के पक्षकारों और उनकी संबद्ध संस्थाओं का व्यावसायिक लेन-देन था, विशेष रूप से सार्वजनिक अनुबंध कार्यों के संबंध में। वर्तमान मुकदमा दो ऐसे अनुबंध कार्यों से संबंधित हैः एक छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम द्वारा प्रदान किया गया कार्य है।

लिमिटेड "छत्तीसगढ़ राज्य में तारा प्रेमनगर-रामनुंजनगर सड़क खंड के कठोर कंधे के साथ दो लेन के निर्माण" के लिए; और दूसरा छत्तीसगढ़ सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 111 के पुनर्वास और उन्नयन" के लिए दिया गया कार्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के कुछ हिस्सों को वादी-प्रतिवादी द्वारा उप-अनुबंधित किया गया था

प्रतिवादी-दो कार्य आदेशों के तहत अपीलार्थी। DV/HW/03 दिनांकित 01.04.2017 और DV/HW/08 दिनांकित 01.07.2017 क्रमशः। इन अनुबंध कार्यों को प्रदान करने के तरीके के बारे में पक्षकारों के रुख में कुछ भिन्नता हो सकती है और उन कारणों के बारे में जिनके लिए इन कार्यों के कुछ हिस्से अपीलार्थी को उप-अनुबंधित किए गए थे, लेकिन वे सभी पहलू वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

3.2 . मुकदमा अपीलार्थी को दिए गए उप-अनुबंधों से और उनके तहत उत्पन्न होने वाली मौद्रिक देनदारियों से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि

अपीलार्थी ने विभिन्न चालू खाते के बिल उठाए थे और प्रत्यर्थी ने विभिन्न चालू खाते के भुगतान किए थे, लेकिन प्रत्येक पक्ष के पास दूसरे के खिलाफ अपने दावे का अपना संस्करण है। ऐसा प्रतीत होता है कि 01.07.2020 पर, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को इस संदर्भ में एक मांग सूचना भेजीः

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 20164, रुपये के कथित अवैतनिक परिचालन ऋण के भुगतान की मांग करती है। 17,94,11,835 / - . प्रत्यर्थी ने 13.07.2020 पर उक्त नोटिस का जवाब भेजा, जिसमें अपीलार्थी द्वारा किए गए दावे का खंडन किया गया और इसके विपरीत रुपये का दावा किया गया। 3,73,24,821 / अतिरिक्त भुगतान के कारण अपीलार्थी के विरुद्ध। 3.3 . इस अपील में की जाने वाली प्रस्तुतियों से आगे यह प्रतीत होता है कि 11.09.2020 पर, अपीलार्थी ने राष्ट्रीय

कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कटक बेंच 3 ने प्रत्यर्थी के खिलाफ संहिता की धारा 9 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग की, इन आरोपों के साथ कि प्रत्यर्थी (कॉर्पोरेट देनदार) अपने अवैतनिक परिचालन ऋण का भुगतान करने में विफल रहा था। दूसरी तरफ

पक्ष में, 21.12.2020 पर, वादी-प्रतिवादी ने प्रतिवादी-अपीलार्थी के खिलाफ उक्त राशि की वसूली के लिए उपरोक्त मुकदमा दायर किया।

4 इसके बाद इसे 'कोड' भी कहा जाता है। 5 इसके बाद इसे 'एन. सी. एल. टी.' भी कहा जाता है।

12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु. <आई. डी. 1,821/-, कथित रूप से अपीलार्थी को किया गया अतिरिक्त भुगतान है। वादी-प्रतिवादी ने आदेश XXXVIII नियम 5 के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसे धारा 151 सी. पी. सी. के साथ पढ़ा गया, जिसमें निर्णय से पहले कुर्की के अंतरिम निर्देशों की मांग की गई।

4.1 . 21.12.2020 पर स्थापित उक्त मुकदमे में, वादी प्रतिवादी ने धारा 149 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन भी दायर किया था, जिसमें अदालत की फीस के भुगतान के लिए समय मांगा गया था और मामला 01.01.2021 पर लिया गया था। उस तारीख को, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि आवश्यक अदालती शुल्क का भुगतान कर दिया गया था और धारा 151 सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश XXXVIII नियम 5 के तहत अंतरिम निर्देश की मांग करने वाले उक्त आवेदन को देखते हुए मामले की तात्कालिकता के बारे में प्रतिवादी की ओर से की गई दलीलों को भी संदर्भित किया गया था। इस प्रकार की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 12-ए के संदर्भ में पूर्व-संस्था मध्यस्थता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवादी द्वारा दायर एक और आवेदन को मंजूरी दे दी; और प्रतिवादी अपीलार्थी को उपस्थित होने और लिखित बयान दाखिल करने के साथ-साथ उक्त अंतरिम आवेदन का जवाब देने के लिए समन जारी किया। 4.2 . प्रतिवादी-अपीलार्थी को 06.01.2021 पर विषय मुकदमे में समन भेजा गया था।

4.3 . अपीलार्थी निर्धारित तिथि पर कथित समन के जवाब में विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, अर्थात 18.01.2021 लेकिन एक याचिका दायर की

एन. सी. एल. टी. के समक्ष पक्षकारों के बीच कार्यवाही लंबित होने के आधार पर मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित धारा 10 के तहत आवेदन। अपीलार्थी ने उक्त अंतरिम आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए भी समय मांगा। ट्रायल कोर्ट ने पक्षों को संबंधित आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को 02.02.2021 तक के लिए स्थगित कर दिया। 4.4 . 02.02.2021 पर, अपीलार्थी ने लिखित बयान दाखिल करने और फर्म के भागीदार की बीमारी के आधार पर अंतरिम आवेदन का जवाब देने के लिए समय मांगा। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने वाद की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अपीलार्थी की ओर से दायर आवेदन का जवाब दाखिल करने के लिए भी समय मांगा। मामले को 24.02.2021 तक स्थगित करते हुए, अदालत ने पक्षों को लंबित [2022] 8 एस. सी. आर. के लिए अपने-अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

आवेदन किए और अपीलार्थी को अगली तारीख को अपना लिखित बयान दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

4.5 . आई. डी. 1 पर, जबकि प्रत्यर्थी ने मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए आवेदन पर अपना जवाब दाखिल किया, लेकिन अपीलार्थी ने वरिष्ठ वकील की अनुपलब्धता के कारण लिखित बयान दाखिल करने का एक और अवसर मांगा। प्रत्यर्थी ने आपत्ति जताई लेकिन, मुकदमा अदालत ने रुपये की लागत पर एक और अवसर प्रदान किया। 200 / - ; और अपीलार्थी को अपना लिखित बयान दाखिल करने के साथ-साथ आवेदन का जवाब देने का भी निर्देश दिया गया था।

अगली तारीख तक सकारात्मक रूप से अंतरिम निर्देश। 4.6 . अगली तारीख को, यानी 15.03.2021 पर, हालांकि अंतरिम निर्देश मांगने वाले आवेदन का जवाब अपीलार्थी की ओर से दायर किया गया था।

लेकिन, लिखित बयान दाखिल करने के लिए और समय मांगा गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि दिल्ली स्थित एक विधि फर्म की सहायता ली जा रही है और लिखित बयान का मसौदा तैयार करने के लिए आवश्यक दस्तावेज दिल्ली भेजे गए हैं। इन प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने अपीलार्थी को लिखित बयान दाखिल करने के लिए अभी और समय दिया, लेकिन रुपये की लागत पर। 500 / - . विचारण न्यायालय ने उपरोक्त दोनों उल्लिखित आवेदनों पर दलीलों के लिए मामले को 15.04.2021 तक स्थगित कर दिया, जो क्रमशः अपीलार्थी द्वारा वाद की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए और प्रतिवादी द्वारा निर्णय से पहले कुर्की के लिए दायर किए गए थे।

4.7 . सामान्य और सामान्य पाठ्यक्रम में, मामला 15.04.2021 पर निर्धारित उद्देश्य के लिए आगे बढ़ा होगा, लेकिन एक अधिकार क्षेत्र उच्च द्वारा जारी किया गया प्रशासनिक आदेश दिनांक 05.04.2021

न्यायालय के कामकाज में कटौती के साथ-साथ अपने स्वयं के प्रशासनिक आदेश दिनांक 07.04.2021 को देखते हुए, निचली अदालत ने दोनों आवेदनों पर बहस के लिए मामले को 22.06.2021 तक के लिए स्थगित कर दिया। निर्विवाद रूप से, उक्त प्रशासनिक आदेश कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर द्वारा पैदा की गई परिस्थितियों के बल पर जारी किए गए थे, जब लगभग सभी संस्थानों को बीमारियों, तालाबंदी और रोकथाम के उपायों के कारण अपने सामान्य कामकाज में व्यवधान का सामना करना पड़ा था।

4.8 . इस मोड़ पर यह ध्यान देना उचित होगा कि आदेश 5 के नियम 1 (1) के दूसरे परंतुक और परंतुक के सामान्य संचालन में

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित आदेश VIII सी. पी. सी. के नियम 1 के अनुसार, अपीलार्थी को लिखित बयान दाखिल करने की आवश्यकता थी।

30 समन की सेवा की तारीख से दिन, यानी 06.01.2021 से 30 दिनों के भीतर। इसके अलावा, अपीलार्थी को समन की तामील की तारीख से 120 वें दिन तक लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय दिया जा सकता था।

डी. ई. वी. ई. परियोजनाएँ सीमित [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

लिखित रूप में और ऐसे खर्चों के भुगतान पर दर्ज किए जाने के कारण जो विचारण न्यायालय द्वारा उचित समझे जाते हैं, लेकिन, की तारीख से 120 दिनों की समाप्ति पर

समन की सेवा, प्रतिवादी-अपीलार्थी का लिखित बयान दायर करने का अधिकार जब्त किया जाना था और न्यायालय लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं दे सकता था। यह विवाद में नहीं है कि समन की सेवा की तारीख से 120 वें दिन 06.05.2021 पर समाप्त हो गया।

वाणिज्यिक न्यायालय का आदेश दिनांक 22.06.2021

5. 22.06.2021 पर मुक़दमे की कार्यवाही पर लौटते हुए, जब निचली अदालत ने मामले को विचार के लिए लिया, तो इसके लिए एक और प्रार्थना अपीलार्थी की ओर से लिखित बयान दाखिल करने के लिए इस निवेदन के साथ स्थगन किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा 2020 की सुओ मोटो रिट याचिका (सिविल) संख्या 3 में सीमा बढ़ा दी गई थी। यह प्रार्थना थी

प्रत्यर्थी की ओर से इस निवेदन के साथ विरोध किया गया कि समन की सेवा के बाद से 120 दिनों से अधिक की अवधि समाप्त हो गई है। विचारण न्यायालय ने मामले के आदेश-पत्रों के साथ-साथ आदेश VIII नियम 1 सी. पी. सी. के लागू प्रावधान का भी उल्लेख किया और अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने लिखित कथन दाखिल करने का अपना अधिकार खो दिया है। इसके बाद निचली अदालत ने पक्षों द्वारा दायर उपरोक्त आवेदनों पर विचार करने के लिए मामले को 09.07.2021 तक के लिए स्थगित कर दिया।

5.1 . इस अपील में विवाद का मूल होने के कारण, 22.06.2021 दिनांकित इस आदेश को उपयोगी रूप से नीचे दिए गए विस्तार में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः -

" 22.06.2021

वर्तमानः श्री ऋषभ गर्ग वादी के वकील हैं।

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता श्री नीरज ज़वेरी।

प्रतिवादी के वकील ने इस आधार पर लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए स्थगन देने का अनुरोध किया कि माननीय

इस आधार पर कि प्रतिवादियों पर समन की सेवा के बाद से 120 दिनों से अधिक की अवधि समाप्त हो गई है। वर्तमान
मामले के आदेश-पत्र के अनुसार, प्रतिवादी पर समन की सेवा 06.01.2021 पर हाथ से की गई थी और

प्रतिवादी सबसे पहले इस अदालत के समक्ष 18.01.2021 पर पेश हुए। प्रतिवादियों ने 18.01.2021 पर सी. पी. सी. की धारा 10 के तहत एक आवेदन दायर किया है और आदेश 38 के तहत आवेदन का जवाब दाखिल किया है। 15.03.2021 पर नियम 5।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. पी. सी. के आदेश 8 नियम 1 का प्रावधान जैसा कि इसके द्वारा शामिल किया गया है

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में कहा गया है कि समन की सेवा की तारीख से 120 दिनों की समाप्ति पर, प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं देगा।

इसलिए, इस मामले में प्रतिवादी ने लिखित बयान प्रस्तुत करने का अपना अधिकार खो दिया है क्योंकि 06.01.2021 यानी प्रतिवादियों पर समन की सेवा की तारीख के बाद 120 दिनों से अधिक समय बीत चुका है। अब प्रतिवादियों को लिखित रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

केस फाइल में बयान।

अब आदेश 38 नियम 5 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर और धारा 10 के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए 09.07.2021 पर आएँ।

सीपीसी "।

विवादित आदेश दिनांक 09.07.2021: उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया

हस्तक्षेप करना

6. उपरोक्त आदेश दिनांक 22.06.2021 पर सवाल उठाते हुए, प्रतिवादी-अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय के समक्ष भारत का संविधान।

6.1 . अपीलार्थी की ओर से यह अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया गया था कि 06.05.2021 पर, न्यायालय में लॉकडाउन लागू होने के कारण बंद कर दिया गया था।

महामारी नियंत्रण के उपाय; और 22.06.2021 पर, आवेदन दायर किया गया था जिसमें चिकित्सा आधार पर लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था क्योंकि अपीलार्थी का वकील संगरोध में था। 2020 की सुओ मोटू रिट याचिका (सिविल) संख्या 3 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि, सामान्य कानून के तहत या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित सीमा की अवधि की गणना करते समय, 15.03.2020 से 14.03.2021 के बीच की अवधि को बाहर रखा जाएगा; और 27.04.2021 पर, इस न्यायालय द्वारा सीमा के निलंबन को और बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि लॉकडाउन की अवधि को ध्यान में रखे बिना ट्रायल कोर्ट द्वारा सीमा की गिनती गलत थी। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का संदर्भ दिया गया था, जिसमें एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड v. के. एस. चमनकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। : (2019) 12

एससीसी 210 और एस. एस. ग्रुप प्रा. लिमिटेड वी. आदित्य जे. गर्ग और अन्न। : 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 1050। 6.2 . अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार दायर याचिका का प्रतिवादी की ओर से दो-गुना प्रस्तुतियों के साथ विरोध किया गया था। सबसे पहले, यह प्रकाश कॉरपोरेट्स बनाम था।

डी. ई. वी. ई. परियोजनाएँ सीमित [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

आग्रह किया कि विवादित आदेश अपील योग्य होने के कारण, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती थी। फिर, एससीजी अनुबंध (उपरोक्त) में निर्णय के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया कि वाणिज्यिक न्यायालय के पास 120 दिनों की अवधि से आगे समय बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। इसके अलावा, सगुफा अहमद और अन्य के मामले में इस अदालत का निर्णय। वी. अपर असम पॉलीवुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। : (2021) 2 एस. सी. सी. 317 को इस निवेदन के समर्थन में उद्धृत किया गया था कि 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में आदेश केवल सीमा की अवधि के विस्तार के उद्देश्य से था न कि देरी को माफ करने के लिए। यह तर्क दिया गया था कि लिखित बयान दाखिल करने का समय निर्धारित अवधि का था और सीमा का विषय नहीं होने के कारण, 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित आदेश के तहत शामिल नहीं था।

6.3 . पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह निर्णय दिया कि आदेश आदेश VIII के संदर्भ में पारित किया गया है।

नियम 1 आदेश XLIII सी. पी. सी. के तहत अपील योग्य नहीं था और इसलिए, याचिका वास्तव में विचारणीय थी। हालाँकि, निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के संबंध में, उच्च न्यायालय ने एससीजी अनुबंध और सगुफा अहमद में उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख किया और कहा कि अधिनियम में प्रदान की गई सीमा को किसी भी न्यायालय द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वर्तमान मामला देरी को माफ करने का मामला नहीं है क्योंकि लिखित बयान नहीं दिया गया था।

बिल्कुल दाखिल किया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाया और निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए रिट याचिका को खारिज करने के लिए आगे बढ़ाः -

" सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए विचार और 2020 के स्वतः संज्ञान रिट (सिविल) संख्या 03 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में मौजूद स्पष्ट तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं ने आज तक कोई लिखित बयान दायर नहीं किया है, लिखित बयान दाखिल करने के लिए निर्धारित समय और अदालत द्वारा बढ़ाया जा सकने वाला समय दोनों समाप्त हो गए हैं। मामला उस तारीख को भी सुनवाई के लिए तय किया गया था, याचिकाकर्ता तैयार नहीं था और लिखित बयान दायर करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए, यह एक ऐसा मामला प्रतीत होता है जिसमें याचिकाकर्ता सीमा बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई भी न्यायालय उस अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ सीमा का कोई विस्तार नहीं दे सकता है जिसके तहत मामले पर विचार किया जा रहा है और सुनवाई की जा रही है। इसके अलावा, यह देरी को माफ करने का मामला नहीं है क्योंकि लिखित बयान अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए, मेरा यह विचार है कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने [2022] 8 एस. सी. आर. द्वारा की गई प्रार्थना को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय देने के लिए याचिकाकर्ता। तदनुसार, इस याचिका में कोई सार नहीं पाया गया है, इसलिए, यह याचिका को प्रस्ताव स्तर पर खारिज कर दिया जाता है।

7. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी-अपीलार्थी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वादी

प्रतिवादी चेतावनी में प्रकट हुआ है। विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए, हमने अंत में प्रवेश स्तर पर ही पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

8. उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 2 के आदेश पर आरोप लगाते हुए, प्रतिवादी-अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने विषय मुकदमे में कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित विभिन्न आदेशों का भी उल्लेख किया है। और तर्क दिया है कि विशिष्ट परिस्थितियों के दिए गए समूह में, लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय देने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को मंजूरी दी जानी चाहिए थी।

2020 . 9.1 . विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि विषय मुकदमा स्वयं प्रतिवादी द्वारा उस समय दायर किया गया था जब आदेश दिनांक 23.03.2020 था।

इस न्यायालय द्वारा 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित किया गया था; और उस अवधि के दौरान अपीलार्थी को समन भी भेजा गया था। 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित विभिन्न अन्य आदेशों के संदर्भ में, यह तर्क दिया गया है कि 15.03.2020 से 02.10.2021 तक की पूरी अवधि को सीमा की अवधि की गणना करते समय बाहर रखा गया है और यह कि,

जाहिर है, लिखित बयान दाखिल करने के लिए निर्धारित अवधि शामिल है

वर्तमान मामला।

9.2 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में आदेशों के पीछे का इरादा वादियों को महामारी से उपजी जटिलताओं से बचाना और प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत परिस्थितियों को समझाने की आवश्यकता को दूर करना था। और इस मामले में अपीलार्थी पर कोई देरी नहीं की जा सकती क्योंकि लिखित विवरण दाखिल करने में देरी का कोई भी सवाल सीमा की विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद ही उत्पन्न होता, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में प्रावधान किया गया है।

9.3 . विद्वान वरिष्ठ वकील यह भी प्रस्तुत करेंगे कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय प्रतिकूल पर विचार करने में विफल रहे हैं।

अपीलार्थी को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिनमें अप्रैल, 2021 के महीने में पूरे रायपुर जिले को नियंत्रण क्षेत्र घोषित किए जाने और प्रतिबंध/लॉकडाउन लगाए जाने के अलावा, इस मामले का तथ्य यह था कि अपीलार्थी फर्म के भागीदार और उनके परिवार के सदस्य भी कोविड-19 से पीड़ित थे और वे या तो संगरोध में थे या अन्य पारिवारिक आपात स्थितियों में भाग ले रहे थे। इसके अलावा, अपीलार्थी के वकील और उनकी माँ संगरोध में थे और वास्तव में, वकील की माँ का स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण निधन हो गया। विद्वान वकील के अनुसार, इन कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण समय में, जब इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार सीमा अवधि की कठोरता ग्रहण के अधीन थी, तो निचली अदालत और उच्च न्यायालय को लिखित बयान दायर करने के अधिकार को बंद नहीं करना चाहिए था।

9.4 . विद्वान वकील ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि अपने स्वयं के प्रशासनिक आदेश दिनांक 05.04.2021 के अनुसार,

छत्तीसगढ़ ने न्यायालयों के सीमित कामकाज का प्रावधान किया था, जहां केवल तत्काल प्रकृति के मामले उठाए जा रहे थे; और विचाराधीन मुकदमा उन श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आ रहा था। मामले के इस दृष्टिकोण में भी, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार कानून के संचालन से निर्णायक रूप से समाप्त हो गया था। दूसरे शब्दों में, जब क़ानून में ऐसे कठोर प्रावधान पूरी तरह से लागू नहीं थे, तो लिखित बयान दाखिल करने के अधिकार को बंद नहीं माना जा सकता था।

9.5 . अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि निचली अदालत ने दायर आवेदन पर विचार नहीं करने और निर्णय नहीं लेने में गलती की है

अपीलार्थी द्वारा धारा 10 सी. पी. सी. के अधीन वाद कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए क्योंकि वाद के विषय-वस्तु के संबंध में कार्यवाही पहले से ही एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित थी। यह अभी तक आगे प्रस्तुत किया गया है कि

अपीलार्थी ने लिखित बयान तैयार कर लिया था और 07.07.2021 पर नोटरी करा ली थी; और यह रिकॉर्ड में लिए जाने के योग्य है।

10. उपर्युक्त प्रस्तुतियों का प्रतिवाद करते हुए और आक्षेपित आदेशों का समर्थन करते हुए, वादी प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने पूरे जोर के साथ तर्क दिया है कि अपीलार्थी 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित आदेशों के संदर्भ में सीमा की अवधि के विस्तार का दावा नहीं कर सकता है, विशेष रूप से जब लिखित बयान दाखिल करने का उसका अधिकार कानून के संचालन द्वारा जब्त कर लिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10.1 . कार्यवाहियों के अभिलेख के विस्तृत संदर्भ के साथ

10.2 . प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित आदेश अपीलार्थी के लिए कोई सहायता या सहायता नहीं हो सकते हैं क्योंकि न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली विवेकाधीन विस्तारित अवधि में दावा करने का कोई अक्षम्य अधिकार प्राप्त नहीं होता है। विद्वान वकील ने इन दलीलों पर जोर दिया है कि 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित आदेशों में, 23.03.2020 से 02.10.2021 तक शुरू होने वाली सीमा की अवधि का विस्तार मुकदमों या आवेदनों की स्थापना के लिए था; और यहां तक कि जब अधिनियम की धारा 12-ए को सीमा अवधि के विस्तार के दायरे में लाया गया था, तब भी ऐसा कोई निर्देश नहीं था कि वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष लिखित बयान दायर करने की अवधि भी स्वचालित रूप से बढ़ा दी जाएगी, इसके बावजूद कि प्रतिवादी कार्यवाही में उपस्थित होता है और भाग लेता है। विद्वान वकील के अनुसार, प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल नहीं करके और फिर 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित आदेशों की सुरक्षा की मांग करके पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं ले सकता है।

10.3 . एस. कासी बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में। बताइएः 2020 की आपराधिक अपील संख्या 452 पर निर्णय लिया गया

19.06.2020 [(2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 529], प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष रूप से फैसला सुनाया है कि 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में दिनांकित उक्त आदेश सभी आवेदनों पर लागू नहीं होता है; और सीमा बढ़ाने के आदेश का लाभ पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करते समय नहीं लिया जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 19736 की धारा 167 (2)। इसके अलावा,

" इसके बाद इसे 'सी. आर. पी. सी.' भी कहा जाता है।

प्रकाश कॉरपोरेट्स बनाम. डी. ई. वी. ई. परियोजनाएँ सीमित [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

सगुफा अहमद (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के संदर्भ में, यह तर्क दिया गया है कि 2020 की एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में जो अवधि बढ़ाई गई थी, वह केवल सीमा की अवधि थी, न कि वह अवधि जिसके लिए कानून द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए देरी को माफ किया जा सकता था। विद्वान वकील एस. सी. जी. अनुबंध (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में यह भी प्रस्तुत करेगा कि जहां कोई प्रतिवादी अनुमेय समय के भीतर लिखित बयान दायर करने में विफल रहता है, तो देरी को माफ करना न्यायालय की शक्ति से परे है।

11. अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि एस. कासी का मामला (ऊपर)

सी. आर. पी. सी. की धारा 167 (2) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के लिए संदर्भित स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार और उक्त मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियां दीवानी मुकदमेबाजी से संबंधित प्रक्रियात्मक कानून के संबंध में और विशेष रूप से दीवानी मुकदमे में लिखित बयान दायर करने के अधिकार के संबंध में काम नहीं कर सकती हैं। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करेगा कि सगुफा अहमद (उपरोक्त) के मामले में निर्णय वर्तमान मामले में कोई आवेदन नहीं है क्योंकि इसमें टिप्पणियां तथ्यों के सेटअप में की गई थीं कि अपील दायर करने का समय इस अदालत द्वारा एस. एम. डब्ल्यू. पी. सं. 1 में पारित आदेश से पहले ही समाप्त हो गया था।

3 2020 से। 12. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार किया है और लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड की जांच की है।

प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान

13. इस मामले में निर्धारण का आह्वान करने वाला प्रमुख प्रश्न

यह इस बारे में है कि क्या विषय मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने के अवसर को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है या अपीलार्थी को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पारित और जारी किए गए आदेशों को देखते हुए और छूट दी जा सकती है। हालांकि, आगे बढ़ने से पहले, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना सार्थक होगा, विशेष रूप से वे जो लिखित बयान दाखिल करने के अधिकार और उस संबंध में डिफ़ॉल्ट शर्तों से संबंधित हैं, जो विषय वाद पर लागू होते हैं।

13.1 . विचाराधीन मुक़दमा के विवरण का जवाब देता है

' 'विनिर्दिष्ट मूल्य' के वाणिज्यिक विवाद और इसके संबंध में, सी. पी. सी. के प्रासंगिक लागू प्रावधान वे हैं जो अनुसूची द्वारा संशोधित किए गए हैं -

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को उसकी धारा 16 के साथ पढ़ा जाता है। 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित आदेशों में अधिनियम की धारा 12-ए भी संदर्भ के अंतर्गत आई है। इस प्रकार, हम उपयोगी रूप से अधिनियम की धारा 12-ए और धारा 16 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:

" 12 - ए. पूर्व-संस्थान मध्यस्थता और निपटान। – (1) एक मुकदमा, जिसके तहत किसी भी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं किया जाता है

यह अधिनियम, तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि वादी समाप्त नहीं कर देता

इस प्रकार के अनुसार पूर्व-संस्था मध्यस्थता का उपचार रीति और प्रक्रिया जो बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाए

केंद्र सरकार।

(2) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिकृत कर सकती है

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण,

1987 (39 1987), संस्था-पूर्व मध्यस्थता के प्रयोजनों के लिए।

" 16. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन वाणिज्यिक विवादों पर इसका अनुप्रयोग। — (1) प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में, उनके

वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी भी वाद के लिए आवेदन

निर्दिष्ट मूल्य, में निर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया गया है

अनुसूची.

(2) वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय इसका अनुसरण करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधान, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, के संबंध में एक मुकदमे के मुकदमे में

एक निर्दिष्ट मूल्य का वाणिज्यिक विवाद। (3) जहाँ अधिकारिता उच्च के किसी भी नियम का कोई प्रावधान हो।

न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कोई भी संशोधन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के साथ टकराव में है, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

विजयी होंगे। "

13.2 . वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की अनुसूची के खंड 4 के उपखंड ए, डी (आई) और डी (iv) के आधार पर क्रमशः

आदेश 5 नियम 1 (1), आदेश 8 नियम 1 और आदेश 8 नियम 10 में सी. पी. सी. के प्रावधान, उस समय अवधि के बारे में जिसके भीतर लिखित बयान दायर किया जा सकता है और साथ ही चूक के परिणाम भी, वर्तमान प्रकृति के मुकदमे में उनके आवेदन में संशोधित हैं। इन संशोधनों को शामिल करते समय, सी. पी. सी. के लागू प्रावधान 1 के तहत पढ़े जाएंगेः -

आदेश वी नियम 1

" 1. समन। - (1) जब एक मुकदमा विधिवत स्थापित किया जाता है, तो प्रतिवादी को उपस्थित होने और जवाब देने के लिए समन जारी किया जा सकता है।

' ध्यान देंः तारांकन चिह्न (*) के साथ चिह्नित प्रावधान संशोधित प्रावधान हैं, जो निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद पर लागू होते हैं, यानी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता है।

आकाश कॉर्पोरेट्स बनाम। डी. ई. वी. ई. परियोजनाएँ सीमित

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

दावा करना और अपने बचाव का लिखित बयान दाखिल करना, यदि कोई हो,

उस प्रतिवादी पर समन की सेवा की तारीख से तीस दिनों के भीतरः

बशर्ते कि ऐसा कोई समन तब जारी नहीं किया जाएगा जब

प्रतिवादी शिकायत की प्रस्तुति में उपस्थित हुआ है और स्वीकार किया है

वादी का दावाः

* बशर्ते कि जहां प्रतिवादी तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहता है, उसे ऐसे अन्य दिन लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जो भी हो सके।

न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए और ऐसे खर्चों के भुगतान पर जो न्यायालय उचित समझे, लेकिन जो समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिनों के बाद और समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिनों की समाप्ति पर, प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं देगा।

(2) एक प्रतिवादी जिसके तहत समन जारी किया गया है

उप-नियम (1) दिखाई दे सकता हैः

((क) व्यक्तिगत रूप से, या (बी) एक वकील द्वारा विधिवत निर्देश दिया गया और सभी सामग्री का जवाब देने में सक्षम

मुक़दमे से संबंधित प्रश्न, या

(ग) जवाब देने में सक्षम किसी व्यक्ति के साथ एक वकील द्वारा

ऐसे तमाम सवाल।

(3) ऐसा प्रत्येक समन न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसे वह नियुक्त करता है, और उस पर न्यायाधीश की मुहर लगाई जाएगी।

अदालत "।

आदेश VIII नियम 1 " 1. लिखित बयान। - प्रतिवादी, उस पर समन की सेवा की तारीख से तीस दिनों के भीतर, एक लिखित प्रस्तुत करेगा

उनके बचाव का बयानः

* बशर्ते कि जहां प्रतिवादी तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहता है, उसे ऐसे अन्य दिन लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जो निर्दिष्ट किया जाए।

न्यायालय द्वारा, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए और ऐसे खर्चों के भुगतान पर जो न्यायालय उचित समझे, लेकिन जो बाद में [2022] 8 एस. सी. आर. नहीं होगा।

समन की सेवा की तारीख से एक सौ बीस दिनों से अधिक और समन की सेवा की तारीख से एक सौ बीस दिनों की समाप्ति पर, प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित बयान की अनुमति नहीं देगा

रिकॉर्ड में लिया जाए "।

आदेश VIII नियम 10

" 10. प्रक्रिया जब पक्ष अदालत द्वारा बुलाए गए लिखित बयान को प्रस्तुत करने में विफल रहता है। - जहां कोई भी पक्ष जिससे नियम 1 या नियम 9 के तहत लिखित बयान की आवश्यकता होती है, वह न्यायालय द्वारा अनुमत या निर्धारित समय के भीतर, जैसा भी मामला हो, उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो न्यायालय उसके खिलाफ निर्णय सुनाएगा, या मुकदमे के संबंध में ऐसा आदेश देगा जो वह उचित समझे और ऐसे निर्णय की घोषणा के लिए एक डिक्री तैयार की जाएगी।

* बशर्ते कि कोई भी न्यायालय लिखित आदेश दाखिल करने के लिए इस आदेश के नियम 1 के तहत प्रदान किए गए समय को बढ़ाने का आदेश नहीं देगा।

बयान "।

कोविड-19 का प्रभावः

2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित आदेश

14. वर्तमान मामले में तर्कों का बड़ा सौदा इस न्यायालय द्वारा सुओ मोटू रिट याचिका (सिविल) में पारित आदेशों के इर्द-गिर्द घूमता है। 2020 की सं. 3 और इसके लिए अपीलार्थी की प्रार्थना पर इसका प्रभाव

अपना लिखित बयान दाखिल करने का एक और अवसर। संबंधित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा पारित सभी प्रासंगिक आदेशों पर ध्यान देना उचित होगा। 14.1 उक्त स्वतः संज्ञान याचिका को इस न्यायालय द्वारा विशिष्ट और असाधारण परिस्थितियों में लिया गया था।

कोविड-19 महामारी का प्रकोप, जहां बड़ी आबादी की गंभीर बीमारी और लॉकडाउन सहित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न रोकथाम उपायों के कारण लगभग सभी संस्थानों का सामान्य कामकाज बाधित हो गया। न्यायालयों और अन्य न्यायिक संस्थानों के कामकाज को भी झटका लगा और वास्तव में, कोविड-19 मामलों में नियमित वृद्धि के साथ, जब सरकारों ने सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में लॉकडाउन की घोषणा की, तो इस न्यायालय के लिए यह स्पष्ट था कि वादियों और उनके अधिकृत एजेंटों को अपने मुकदमों के संबंध में गंभीर कठिनाइयों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और विशेष रूप से, सीमा की अवधि के संबंध में, जब उनके लिए सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर कार्यवाही दायर करना लगभग असंभव होगा, प्रकाश निगम बनाम।

यदि यह ऐसी स्वास्थ्य आपात स्थितियों की अवधि के दौरान समाप्त हो रहा था और रोकथाम के उपायों को लागू कर रहा था। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग किया और 2020 के उक्त एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में 23.03.2020 पर एक आदेश पारित किया जो निम्नानुसार हैः

" इस न्यायालय ने कोविड-19 वायरस के कारण देश के सामने आई चुनौती से उत्पन्न स्थिति और इसके परिणामस्वरूप देश भर के वादियों को अपनी याचिकाओं/आवेदनों/मुकदमों/अपीलों/अन्य सभी कार्यवाहियों को सीमित अवधि के भीतर दायर करने में आने वाली कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया है

सीमा के सामान्य कानून या विशेष कानून के तहत निर्धारित

कानून (केंद्रीय और/या राज्य दोनों)।

ऐसी कठिनाइयों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वकील/वादी

इस न्यायालय सहित देश भर के संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में ऐसी कार्यवाही दायर करने के लिए शारीरिक रूप से आने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि ऐसी सभी कार्यवाही में सीमा की अवधि, सामान्य कानून या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित सीमा के बावजूद, चाहे वह माफ करने योग्य हो या नहीं, 15 मार्च 2020 से इसके द्वारा पारित किए जाने वाले अगले आदेशों तक विस्तारित रहेगा।

वर्तमान कार्यवाहियों में न्यायालय।

हम अनुच्छेद 142 के तहत इस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 141 और घोषणा करता है कि यह आदेश सभी न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों पर अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर एक बाध्यकारी आदेश है। इस आदेश को सभी उच्च न्यायालयों के संज्ञान में लाया जा सकता है ताकि उनके भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को सूचित किया जा सके।

संबंधित अधिकार क्षेत्र।

उच्च न्यायालयों के सभी महापंजीयकों को नोटिस जारी करना,

चार सप्ताह में वापसी योग्य।

14.2 . सामान्य शब्दों में पारित उपरोक्त आदेश के अलावा, इस न्यायालय ने समय-समय पर एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में भी विभिन्न आदेश पारित किए। विशिष्ट वर्गों और मामलों की श्रेणियों के संबंध में 2020 का। आई. डी. 1 पर, इस न्यायालय ने एक अंतर्वर्ती आवेदन पर विचार किया और निर्देश दिया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 19968 और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत निर्धारित सीमा

8 इसके बाद '1996 का अधिनियम' [2022] 8 एस. सी. आर. के रूप में भी संदर्भित किया गया।

यह 15.03.2020 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि 15.03.2020 के बाद सीमा समाप्त हो गई थी, तो 15.03.2020 और क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र में लॉकडाउन हटाने के बीच की अवधि को लॉकडाउन हटाने के बाद 15 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। फिर, इस न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 29-ए के संदर्भ में कार्यवाही के संबंध में विद्वान महान्यायवादी द्वारा की गई दलीलों पर ध्यान दिया, जो सीमा की अवधि निर्धारित नहीं करता है, लेकिन मध्यस्थता पुरस्कार देने के लिए समय निर्धारित करता है। इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि उपरोक्त दिनांकित 23.03.2020 और 06.05.2020 आदेश मध्यस्थता पुरस्कार पारित करने के लिए समय सीमा के विस्तार के लिए भी लागू होंगे। इस न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 23 (4) की आवश्यकताओं पर भी विचार किया, जिसमें दावे और बचाव के विवरण को पूरा करने के लिए छह महीने की समय अवधि का प्रावधान है और यह निर्देश दिया गया था कि उपरोक्त आदेश समय सीमा बढ़ाने के लिए लागू होंगे।

उक्त धारा 23 (4) के तहत भी विहित। इसके अलावा, इस न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12-ए की आवश्यकताओं की भी जांच की, जो अनिवार्य पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करती है और निर्देश देती है कि उक्त समय सीमा

समय-समय पर और लॉकडाउन हटाने के बाद 45 दिनों के लिए भी इसे बढ़ाया जाएगा। दिनांकित 10.07.2020 आदेश के प्रासंगिक भागों को भी उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता हैः

" आई. ए. सं. 49221/2020-मध्यस्थता की धारा 29ए और

सुलह अधिनियम, 1996

बोर्ड पर लिया गया।

सुओ मोटो रिट याचिका (सी) संख्या 3/2020 में, हमारे दिनांकित 23.03.2020 और 06.05.2020 के आदेश द्वारा, हमने आदेश दिया कि आदेश और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत निर्धारित सीमा की सभी अवधियों को डब्ल्यू. ई. एफ. 15.03.2020 से अगले आदेश तक बढ़ाया जाएगा।

विद्वान महान्यायवादी ने एक मामूली संशोधन की मांग की है

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29ए सीमा की अवधि निर्धारित नहीं करती है, लेकिन कुछ कार्यों को करने के लिए एक समय निर्धारित करती है, यानी एक निर्धारित समय के भीतर एक मध्यस्थ निर्णय देना। हम, तदनुसार, निर्देश देते हैं कि उपरोक्त आदेश धारा के तहत मध्यस्थता पुरस्कार पारित करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए भी लागू होंगे। 29उक्त अधिनियम का ए। इसी तरह, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 23 (4) में आकाश निगम बनाम के लिए 6 महीने की अवधि का प्रावधान है।

डी. ई. वी. ई. परियोजनाएँ सीमित [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

दावा और बचाव के बयान का पूरा होना। हम, तदनुसार, निर्देश देते हैं कि उपरोक्त आदेश उक्त अधिनियम की धारा 23 (4) के तहत निर्धारित समय सीमा के विस्तार के लिए भी लागू होंगे।

आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

धारा 12 ए के तहत पूर्व-संस्थान मध्यस्थता और निपटान

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए के तहत, समय

अनिवार्य पूर्व की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है

मुकदमेबाजी, मध्यस्थता और समझौता। उक्त समय भी बढ़ाया जा सकता है। हम, तदनुसार, निर्देश देते हैं कि उक्त समय उस समय से बढ़ाया जाएगा जब लॉकडाउन हटा लिया गया है और अतिरिक्त 45 दिन। इसके बाद। इसका मतलब यह है कि यदि उपरोक्त अवधि, यानी लॉकडाउन की अवधि और 45 दिन की अवधि समाप्त हो गई है, तो आगे कोई अवधि नहीं होगी।

बहिष्कृत किए जाने योग्य "।

14.3 . उपर्युक्त निर्दिष्ट आदेश लगभग आर के लिए लागू रहे, लेकिन जब ई. एम. आई. सी. की गंभीरता में कुछ कमी आई थी और जब सामान्य स्थिति धीरे-धीरे बहाल हो रही थी, तो इस न्यायालय ने विभिन्न घटनाओं, विशेष रूप से 15.03.2020 से 14.03.2021 के बीच की अवधि के संबंध में कार्रवाई के ई-पाठ्यक्रम के संबंध में विशिष्ट प्रावधान करते हुए, अपनी तिथि 08.03.2021 द्वारा उक्त स्वतः संज्ञान याचिका का निपटारा करना उचित ठहराया। यह

दिनांकित 08.03.2021 निम्नानुसार हैः -

" 1.कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण, इस न्यायालय ने कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया सीमा के सामान्य कानून के तहत या किसी विशेष कानून (केंद्र या राज्य दोनों) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर याचिकाएं/आवेदन/मुकदमे/अपील/अन्य सभी कार्यवाहियां दायर करने में देश भर के वादियों का सामना करना पड़ सकता है। दिनांक 23.03.2020 के एक आदेश द्वारा इस न्यायालय ने सामान्य कानून या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित सीमा की अवधि को 15.03.2020 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया। 23.03.2020 दिनांकित आदेश को समय-समय पर बढ़ाया गया था। लेकिन हमारे पास है

महामारी का अंत नहीं देखा, वहाँ काफी है सुधार। लॉकडाउन हटा लिया गया है और देश सामान्य स्थिति में लौट रहा है। लगभग सभी न्यायालय और न्यायाधिकरण या तो भौतिक रूप से या आभासी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी राय है कि 23.03.2020 दिनांकित आदेश ने अपने उद्देश्य [2022] 8 एस. सी. आर. को पूरा किया है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्टमहामारी से संबंधित बदलते परिदृश्य को देखते हुए,

सीमाक अन्त भऽ जयबाक चाही।

हमने विद्वान वकील के सुझावों पर विचार किया है।

भारत के लिए भविष्य की कार्रवाई के बारे में। हम समझते हैं

निम्नलिखित निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी लें: -

1. किसी भी वाद के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में,

अपील, आवेदन या कार्यवाही, से अवधि

15.03.2020 जब तक 14.03.2021 बाहर नहीं रहेगा।

नतीजतन, सीमा की शेष अवधि 15.03.2020 पर शेष, यदि कोई हो, तो बन जाएगा

15.03.2021 से प्रभाव के साथ उपलब्ध। 2. ऐसे मामलों में जहां सीमा समाप्त हो गई होगी

15.03.2020 से 14.03.2021 के बीच की अवधि,

सीमा की वास्तविक शेष अवधि के बावजूद

शेष, सभी व्यक्तियों की 90 की सीमा अवधि होगी।

संविधान की धारा 23 (4) और 29 ए के तहत विहित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, धारा 12 ए

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 और प्रावधान (बी)

और (ग) परक्राम्य लिखत की धारा 138

अधिनियम, 1881 और कोई अन्य कानून, जो निर्धारित करते हैं कार्यवाहियाँ स्थापित करने के लिए सीमा की अवधि,

बाहरी सीमाएँ (जिसके भीतर न्यायालय या न्यायाधिकरण कर सकता है)

विलंब को क्षमा करें) और कार्यवाही की समाप्ति।

4. भारत सरकार दिशा-निर्देशों में संशोधन करेगी

कंटेनमेंट जोन, राज्य के लिए।

" चिकित्सा के लिए विनियमित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी ' आपात स्थिति, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान, और

अन्य आवश्यक कार्य, जैसे कि समयबद्ध अनुप्रयोग, जिसमें कानूनी उद्देश्य, और शैक्षिक और नौकरी से संबंधित कार्य शामिल हैं।

आवश्यकताएँ "।

सुओ मोटू रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(जोर दिया गया)

14.4 . यहां तक कि जब लगभग सभी चिंतित लोगों को यह दिखाई दिया कि सामान्य स्थिति आने वाली है, तब भी वायरस का गुप्त प्रसार किसी न किसी कारण से या किसी न किसी रूप में जारी रहा और इससे देश भर में कोविड-19 के मामलों में भारी वृद्धि हुई। इस घटना को आम तौर पर महामारी की दूसरी लहर के रूप में जाना जाने लगा। प्रदत्त परिदृश्य में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन दिल्ली में कोविड-19 मामलों में वृद्धि और वकीलों और वादियों द्वारा अपने मामलों को स्थापित करने के लिए सामना की जा रही कठिनाइयों को उजागर करते हुए 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें दिनांकित 23.03.2020 आदेश को बहाल करने की मांग की गई। यह आवेदन 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में 2021 के विविध आवेदन संख्या 665 के रूप में पंजीकृत किया गया था और इस न्यायालय द्वारा 27.04.2021 पर विचार किया गया था। इस न्यायालय ने कोविड-19 मामलों में भारी वृद्धि का न्यायिक संज्ञान लिया, जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था और पाया कि वादी-जनता की कठिनाइयों को कम करने के लिए स्थिति में असाधारण उपायों की आवश्यकता है। इसलिए, 23.03.2020 दिनांकित आदेश को बहाल कर दिया गया था और 08.03.2021 दिनांकित आदेश की निरंतरता में, यह निर्देश दिया गया था कि सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि, चाहे वह क्षम्य हो या नहीं, अगले आदेश तक बढ़ाई जाएगी। विभिन्न कानूनों के तहत निर्धारित अन्य अवधियों के संबंध में 14.03.2021 से अवधि को हटाने के लिए भी स्पष्टीकरण दिया गया था। दिनांक 1 के इस आदेश में, इस न्यायालय ने मामले में पहले पारित आदेशों पर ध्यान दिया और उसके बाद, निम्नलिखित रूप में अवलोकन और निर्देश दियाः -

" सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एस. सी. ए. ओ. आर. ए.) ने अब इस अंतर्वर्ती आवेदन के माध्यम से दिल्ली में कोविड मामलों में दैनिक वृद्धि और यह कितना कठिन हो गया है, इस पर प्रकाश डाला है।
अधिवक्ताओं और वादियों को उच्चतम न्यायालय और दिल्ली में अन्य न्यायालयों में मामले स्थापित करने के लिए। नतीजतन, 23 मार्च, 2020 के आदेश की बहाली के लिए प्रार्थना की गई है।

बहुमूल्य सुझाव।
हम इस तथ्य पर भी न्यायिक ध्यान देते हैं कि कोविड-19 वायरस के मामलों में भारी वृद्धि केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। कोविड-19 वायरस के अचानक और दूसरे प्रकोप के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति, इस प्रकार, वादी-जनता [2022] 8 एस. सी. आर. की कठिनाई को कम करने के लिए असाधारण उपायों की आवश्यकता है।

सभी राज्यों में। इसलिए हम 23 मार्च, 2020 के आदेश को बहाल करते हैं और 8 मार्च, 2021 के आदेश को जारी रखते हुए निर्देश देते हैं कि सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि, चाहे वह क्षम्य हो या नहीं, अगले आदेश तक बढ़ाई जाएगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 14 मार्च, 2021 से अगले आदेश तक की अवधि को भी अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 23 (4) और 29 ए, वाणिज्यिक न्यायालयों की धारा 12 ए के तहत विहित

अधिनियम, 2015 और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के प्रावधान (बी) और (सी) और कोई अन्य कानून, जो निर्धारित करते हैं

कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि, बाहरी सीमाएँ (जिसके भीतर न्यायालय या न्यायाधिकरण देरी को माफ कर सकता है) और कार्यवाही की समाप्ति। हमने यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 141 के साथ पठित अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया है।

भारत। अतः यह अर्थ के भीतर एक बाध्यकारी आदेश होगा

सभी न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों पर अनुच्छेद 141।

इस आदेश को सभी उच्च न्यायालयों के संज्ञान में लाया जा सकता है क्योंकि उनके भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को सूचित किया जा रहा है

संबंधित अधिकार क्षेत्र।

उच्च न्यायालयों के सभी महापंजीयकों को नोटिस जारी करना, 6 सप्ताह में वापसी योग्य।

19 जुलाई, 2021 को विविध आवेदन को सूचीबद्ध करें। ”

14.5 . कोविड-19 वायरस के प्रसार को देखते हुए उपरोक्त आदेश दिनांक 27.04.2021 कुछ महीनों तक लागू रहा, लेकिन स्थिति फिर से लगभग सामान्य होने लगी, इस न्यायालय ने दिनांकित 08.03.2021 के उपरोक्त आदेश को बहाल करना समीचीन बना दिया।इस न्यायालय ने पिछले आदेशों को ध्यान में रखते हुए 2021 के No.665 के निपटारे में दिनांकित 23.09.2021 का आदेश पारित किया।

विषय और द्वारा की गई प्रस्तुतियों को भी ध्यान में रखते हुए

भारत के लिए अटॉर्नी जनरल और अन्य विद्वान वकील

मामले में कॉल करें। इस आदेश का प्रासंगिक भाग दिनांकित 23.09.2021

लाभप्रद रूप से भी निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाए: -

" 8. इसलिए, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ 2021 के एम. ए. No.665 का निपटान करते हैंः -

I. किसी भी वाद के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, अपील,

आवेदन या कार्यवाही, 15.03.2020 से आकाश निगम v तक की अवधि।

डी. ई. वी. ई. परियोजनाएँ सीमित [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

02.10.2021 बहिष्कृत रहेगा। नतीजतन, संतुलन

03.10.2021 से उपलब्ध हो जाता है। II. ऐसे मामलों में जहां सीमा समाप्त हो गई होगी

15.03.2020 से 02.10.2021 के बीच की अवधि, इसके बावजूद

सीमा की वास्तविक शेष अवधि शेष है, सभी व्यक्तियों के पास होगा 03.10.2021 से 90 दिनों की सीमा अवधि। इस घटना में

सीमा की वास्तविक शेष अवधि शेष, से प्रभाव के साथ

03.10.2021 , यदि 90 दिनों से अधिक है, तो वह लंबी अवधि लागू होगी। III. 15.03.2020 से 02.10.2021 तक की अवधि भी होगी।

के तहत निर्धारित अवधि की गणना में बहिष्कृत किया गया है

मध्यस्थता और सुलह की धारा 23 (4) और 29 ए

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए, अधिनियम, 1996

और परक्राम्य की धारा 138 के प्रावधान (बी) और (सी)

लिखत अधिनियम, 1881 और कोई अन्य कानून, जो निर्धारित करते हैं

कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि, बाहरी

सीमाएँ (जिसके भीतर न्यायालय या न्यायाधिकरण देरी को माफ कर सकता है)

और कार्यवाही की समाप्ति।

IV. भारत सरकार दिशा-निर्देशों में संशोधन करेगी

कंटेनमेंट जोन, राज्य के लिए।

" चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए विनियमित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं का प्रावधान

कार्य, जैसे कि समयबद्ध आवेदन, जिसमें कानूनी कार्य भी शामिल हैं।

उद्देश्य, और शैक्षिक और नौकरी से संबंधित आवश्यकताएँ।

(जोर दिया गया)

उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश

15. वर्तमान मामले में दलीलों के एक अन्य भाग में,

उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 05.04.2021 का निर्देशात्मक आदेश

छत्तीसगढ़ भी संदर्भ के दायरे में आया है। यह आदेश जारी किया गया था

उच्च न्यायालय में कोविड-19 मामलों की खतरनाक संख्या के मद्देनजर

छत्तीसगढ़ राज्य; और, दी गई परिस्थितियों में, उच्च

बल्कि सीमित और सीमित कार्यप्रणाली प्रदान करने के लिए मजबूर किया गया था

अपने अधिकार क्षेत्र में न्यायालय। दिनांकित उक्त आदेश के प्रासंगिक भाग

. 2021 इसे निम्नानुसार भी निकाला जा सकता हैः

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

संख्या 66 (मिस.)/11-14-1/2021

बिलासपुर,

दिनांक 05 अप्रैल, 2021

छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 मामलों की खतरनाक और बढ़ती संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं। -

****

****

****

बी-अधीनस्थ न्यायालय [जिला और सत्र न्यायाधीश /

परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश/वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), सदस्य न्यायाधीश (औद्योगिक न्यायालय), न्यायाधीश (श्रम न्यायालय) आदि।

नए मामले दर्ज करना जारी रहेगा।

1 .

दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में 02 (दो) उच्च न्यायिक न्यायालय

2 .

(एल. जे. एस.) स्तर को आवर्तन के आधार पर कार्य करने की अनुमति है। 3 (तीन) या 3 (तीन) से कम न्यायालयों वाले थानों में सभी न्यायालय

3 .

अदालतों को बारी-बारी से काम करने की अनुमति है। ये न्यायालय केवल वर्ष की पहली छमाही के दौरान कार्य करेंगे।

4 .

कौन सा न्यायालय पूर्ण कार्य घंटों के दौरान कार्य करेगा। निम्नलिखित प्रकार के मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाएगा।

5 .

न्यायालय का उपरोक्त प्रतिबंधित कार्यकरणः

1) रिमांड की बातें

2) जमानत के मामले

3) सूपर्दनामा मायने रखता है

4) अपील और संशोधन (सिविल और आपराधिक दोनों)

5) विचाराधीन कैदियों से संबंधित मामले 6) 05 (पाँच) वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले (सिविल और आपराधिक दोनों)

7) मोटर दुर्घटना दावा मामले

8) मोटर के संबंध में जमा की गई राशि के भुगतान से संबंधित मामले

दुर्घटना दावा मामले 9) Cr.P.C की धारा 125 के तहत मामले।

10) मामलों को भीतर से निपटाने का निर्देश दिया गया। समय सीमा

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय (सिविल और आपराधिक दोनों)

11) सिविल और आपराधिक मामलों की अन्य अत्यधिक तात्कालिक प्रकृति, जो हैं -

न्यायालय द्वारा तत्काल आधार पर सुनवाई की गई

12) महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई और

बच्चे।

आकाश कॉर्पोरेट्स बनाम। डी. ई. वी. ई. परियोजनाएँ सीमित [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

6 .

प्रत्येक न्यायालय द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या इस प्रकार तय की जाएगी,

जो अदालत के कमरों में कम भीड़ सुनिश्चित करेगा जबकि सामाजिक और व्यक्तिगत दूरी बनाए रखना।

7 .

**** **** ****

को

10

11 . यदि न्यायालय परिसर या वह क्षेत्र जिसमें न्यायालय परिसर पड़ता है,

कंटेनमेंट जोन या जिला मजिस्ट्रेट प्रभाव घोषित किया गया है

तालाबंदी के बाद न्यायालयों का कामकाज न्यूनतम होगा। न्यूनतम सहायक कर्मचारियों को बारी-बारी से नियुक्त किया जाएगा, ताकि उनसे निपटा जा सके

केवल अत्यंत आवश्यक मामले, जो जिले द्वारा तय किए जाने हैं और सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय के न्यायाधीश/न्यायाधीश

तथापि, अत्यधिक महत्व के मामलों के संबंध में उपरोक्त अवधि जिला और सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश

पारिवारिक न्यायालय/न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी),

सुविधा। गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड और जमानत दी जाएगी। अवकाश अभ्यास के अनुसार।

12 . उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा जारी अन्य कोविड-19 संबंधित दिशा-निर्देश

न्यायालय, केंद्र सरकार। , राज्य सरकार। , और स्थानीय प्राधिकारी, अन्य सक्षम

अधिकारियों का उनके अक्षर और भावना में पालन किया जाएगा।

13 . संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीश/न्यायाधीश इसके लिए अधिकृत हैं -

किसी भी न्यायालय के अनुसार कोई भी उपयुक्त आरोप लगाएँ।

न्यायालयों के सुचारू संचालन के लिए उनके अधिकार क्षेत्र की स्थिति और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रबंधन के लिए

न्यायालय में अधिवक्ताओं, वादियों आदि के प्रवेश और बैठक का मामला

परिसर।

उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ आगे संशोधन के अधीन होंगी।

यदि कोई समय-समय पर जारी किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से

एसडी /

05.04.21

(संजय कुमार जयसवाल)

आई/सी। महापंजीयक

बिला सपुर "।

(जोर दिया गया)

लिखित विवरण और परिणाम दाखिल करने के लिए समय सीमा

गलती

16. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों से निपटने के लिए, सबसे पहले, हम

[2022] 8 एस. सी. आर. में लिखित विवरण दाखिल करने के लिए समय सीमा को ध्यान में रखना।

प्रतिवादी को 120 दिनों की उपरोक्त अनिवार्य अवधि से परे अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए कुछ समय दें। बाद में, लिखित बयान को रिकॉर्ड पर नहीं लेने के लिए वादी की प्रार्थना को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देने वाले पहले के आदेश को अंतिम रूप मिल गया था। इस न्यायालय ने उपरोक्त के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अस्वीकार कर दिया। आदेश 5 नियम 1 (1), आदेश 8 नियम 1 और आदेश 8 नियम 10 सी. पी. सी. के संशोधित प्रावधान। इन प्रावधानों के व्यापक और अधिदेश की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने कहा, -

" 8 ..... इन प्रावधानों के अवलोकन से पता चलेगा कि आम तौर पर 30 दिनों की अवधि के भीतर एक लिखित बयान दाखिल किया जाना है। हालांकि, आगे 90 दिनों की अनुग्रह अवधि दी जाती है जिसे न्यायालय लिखित रूप में दर्ज करने के कारणों और ऐसी लागतों के भुगतान के लिए नियोजित कर सकता है जो वह इस तरह की लिखित अनुमति देने के लिए उचित समझता है।

अभिलेख पर आने वाला बयान। जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है प्रकाश निगम बनाम।

प्रतिवादी लिखित कथन दाखिल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित कथन को अभिलेख पर लेने की अनुमति नहीं देगा। यह आदेश VIII में परंतुक द्वारा आगे पुष्ट किया गया है। नियम 10 में यह भी कहा गया है कि न्यायालय के पास आगे विस्तार करने की कोई शक्ति नहीं है

120 दिनों की इस अवधि से आगे का समय।

इस न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अनिवार्य प्रावधानों को अंतर्निहित शक्तियों का सहारा लेकर भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

धारा 151 सी. पी. सी. निम्नलिखित रूप में अवलोकन करते हुए: -

" 16 ..... स्पष्ट रूप से, आदेश VIII नियम 1 और नियम 10 के साथ पठित आदेश V के स्पष्ट, निश्चित और अनिवार्य प्रावधान नहीं हो सकते हैं।

धारा के तहत अंतर्निहित शक्ति का सहारा लेकर अतिक्रमण किया गया

151 उसमें जो कहा गया है, उसके विपरीत करना।

17. यदि उपरोक्त प्रावधान और बताए गए सिद्धांत शाब्दिक रूप से हैं

और स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है, समन की सेवा की तारीख से 120 वां दिन 06.05.2021 के साथ समाप्त हो गया और प्रतिवादी, जिसे पहले लागत के भुगतान पर अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय दिया गया था, ने 120 वीं की समाप्ति के साथ इस तरह के अधिकार को जब्त कर लिया।

दिन, अर्थात, 06.05.2021। तथापि, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि उपरोक्त प्रावधान और एससीजी अनुबंधों (उपरोक्त) में उनकी व्याख्या न्यायालयों के सामान्य कामकाज के साथ सामान्य और गैर-असाधारण परिस्थितियों में काम करती है। यह भी उल्लेखनीय है कि सी. पी. सी. के उपरोक्त निर्दिष्ट प्रावधान कानून के एकमात्र प्रावधान नहीं हैं जो विशेष कार्यवाही के लिए अनिवार्य समय सीमा निर्धारित करते हैं। उनके सामान्य और सामान्य संचालन में प्रासंगिक सिद्धांत यह हैं कि इस तरह की वैधानिक समय-सीमा अनिवार्य प्रकृति की होती है, जिसमें विस्तार के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ बहुत कम या न ही विवेक होता है। वर्तमान मामले में सवाल यह है कि क्या अनुचित, असामान्य और असाधारण परिस्थितियों के बल पर न्यायालयों द्वारा पारित/जारी किए गए अन्य आदेशों के संचालन और प्रभाव के बावजूद उक्त प्रावधानों और सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता है? हमारे विचार में, इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न कारणों से सकारात्मक नहीं हो सकता है, जैसा कि इन्फ्रा में बताया गया है।

एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित आदेशों का संचालन और प्रभाव

2020 का

18. यह ज्यादा बहस का विषय नहीं है कि दिसंबर, 2019 के महीने से या उसके आसपास, पूरी मानवता को एक स्थिति का सामना करना पड़ा जो लगभग सभी [2022] 8 एस. सी. आर. के लिए अभूतपूर्व रूप से प्रतिकूल और अप्रिय था।

व्यक्ति और संस्थान। यह कोविड-19 का प्रकोप था महामारी जिसने व्यावहारिक रूप से पूरी दुनिया को घेर लिया; और सार्स-कोव-2 नामक अत्यधिक संक्रामक वायरस ने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अपने तेजी से संचरण के साथ कहर बरपाना शुरू कर दिया। कोविड-19 अपने साथ श्वसन तंत्र को अपूरणीय क्षति की भयावह संभावनाओं को ले गया,

यहाँ तक कि मौतों की ओर भी ले जाता है। वास्तव में, इस संक्रमण के कारण होने वाली मौतों की संख्या

संक्रमित व्यक्तियों को उनके करीबी संपर्कों को संगरोध में रखते हुए अलग करना। 18.1 . हमें कोविड-19 द्वारा उत्पन्न तबाही के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक पहलू यह है कि कोविड-19 के साथ,

व्यक्तियों की आवाजाही और लगभग सभी संस्थानों का काम करना ऐसी कठिनाइयों में पड़ गया, जिनके बारे में न तो पहले से सोचा गया था और न ही उनका संरक्षण किया गया था।

19. जब लोगों की आवाजाही और सभाएं खतरों से भरी हुई थीं और जब लॉकडाउन अपरिहार्य हो गया था, तो संस्थान

न्याय के प्रशासन के कार्य से संबंधित इस महामारी द्वारा डाली गई चुनौतियों का जवाब देने की भी आवश्यकता थी। इस संबंध में, इस न्यायालय ने निरोध के विभिन्न उपाय करने के अलावा, वादियों और उनके वकीलों की व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी ध्यान दिया। और इसके कारण 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. नंबर 3 में दिनांकित 23.03.2020 का स्वतः संज्ञान आदेश आया।

19.1 . इस न्यायालय ने 23.03.2020 दिनांकित सचेत शब्दों वाले आदेश में, वादियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उन पर ध्यान देते हुए

सीमा की अवधि के भीतर अपनी याचिकाओं/आवेदनों/मुकदमों/अपीलों/कार्यवाहियों को दाखिल करते हुए, आदेश दिया कि ऐसी सभी कार्यवाहियों में सीमा की अवधि, सामान्य या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित सीमा के बावजूद, चाहे वह माफ करने योग्य हो या नहीं, अगले आदेश तक डब्ल्यू. ई. एफ. 15.03.2020 विस्तारित रहेगी। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था।

भारत, जो विशेष रूप से विभिन्न कानूनों द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों का पूरक है। भले ही सी. पी. सी. के उपरोक्त निर्दिष्ट प्रावधानों में

विशिष्ट शब्दों में नहीं कहा गया है, 23.03.2020 दिनांकित आदेश का सामान्य आदेश उस समय के लिए किसी भी कानून में प्रदान की गई सीमा की अवधि को बढ़ाना था, चाहे वह माफ करने योग्य हो या नहीं, W. E. F. 15.03.2020 और अगले आदेश तक।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रकाश कॉरपोरेट्स बनाम. डी. ई. वी. ई. परियोजनाएँ सीमित [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

06.05.2020 , जब 1996 के अधिनियम जैसे विभिन्न अधिनियमों के तहत सीमा की विशेष अवधियों को संदर्भित किया गया था, तो इस न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि इसके तहत निर्धारित सीमा अगले आदेश तक डब्ल्यू. ई. एफ. 15.03.2020 विस्तारित रहेगी। यह एक ऐसा समय था जब देश लॉकडाउन की चपेट में था, और अदालत ने प्रावधान किया कि यदि 15.03.2020 के बाद सीमा समाप्त हो गई थी, तो 15.03.2020 और क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र में लॉकडाउन हटाने के बीच की अवधि को लॉकडाउन हटाने के बाद 15 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

19.2 . इसके अलावा, 10.07.2020 पर, इस न्यायालय ने इसका दायरा बढ़ाया

19.3 . आई. डी. 2 पर, इस न्यायालय के समक्ष लॉकडाउन हटाने और सामान्य स्थिति की संभावित वापसी के बारे में सुझाव दिए गए थे और इसलिए, इस न्यायालय ने उक्त स्वतः संज्ञान याचिका का निपटान विशिष्ट निर्देशों के साथ करना उचित समझा कि किसी भी मुकदमे, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिए सीमा की अवधि की गणना करते समय, आई. डी. 1 से अवधि। 14.03.2021 को बाहर रखा जाएगा। यद्यपि उक्त आदेश दिनांक 08.03.2021 इस विश्वास के साथ पारित किया गया था कि महामारी के प्रतिकूल प्रभाव कम हो रहे थे और सामान्य स्थिति लौट रही थी, लेकिन वायरस का प्रसार जारी रहा और इससे कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि हुई;

और मार्च-अप्रैल, 2021 के महीनों के आसपास देश में महामारी की दूसरी लहर। घटनाओं के इस मोड़ में, इस न्यायालय ने 2021 के एम. ए. संख्या 665 पर 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में मामले को फिर से उठाया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा पेश किया गया था और पिछले आदेशों के पुनरुद्धार में 27.04.2021 पर आवश्यक आदेश पारित किया।

19.4 . इस मोड़ पर, हम इस तथ्य का उल्लेख करने के लिए प्रेरित हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 27.04.2021 आदेश पारित करने से बहुत पहले,

महामारी की दूसरी लहर के कारण खतरनाक परिदृश्य पर वास्तव में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया था और उस उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज में कटौती/कटौती के लिए उपरोक्त संदर्भित प्रशासनिक आदेश दिनांक 05.04.2021 जारी किया था। हम चर्चा के अगले खंड में इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बिंदु पर इस तथ्य को उजागर करने के लिए संकेत दिया है कि [2022] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2020 का सं. 3, विषय मुकदमे से निपटने वाला विचारण न्यायालय पहले से ही रोकथाम उपायों के तहत था; और सामान्य रूप से काम नहीं कर सकते थे। 19.5 . इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की ओर लौटते हुए, यह ध्यान देने योग्य है कि 27.04.2021 पर, इस न्यायालय ने 23.03.2020 दिनांकित आदेश को बहाल किया और यह

दिनांक 1 के आदेश की निरंतरता में निर्देश दिया गया था कि सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि, चाहे वह क्षमा योग्य हो। या नहीं, विस्तारित रहेगा। अंततः, 2021 की उक्त एम. ए. संख्या 665 का निपटारा इस न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश के समान निर्देश जारी करने के साथ किया गया था, लेकिन यह प्रावधान करते हुए कि किसी भी मुकदमे, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, 15.03.2020 से 02.10.2021 तक की अवधि बनी रहेगी।

बहिष्कृत।

19.6 . हम इसके द्वारा जारी अन्य निर्देशों के बारे में विस्तार से नहीं बता रहे हैं।

न्यायालय लेकिन, जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय की चिंता उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए थी जो उन्हें झेलनी पड़ सकती थीं। इस महामारी के हमलों के दौरान मुकदमेबाज। अतः एस. एम. डब्ल्यू. पी. सं. 3 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का कानूनी प्रभाव और कवरेज।

2020 अनावश्यक रूप से संकुचित नहीं किया जा सकता है और बल्कि, उनके उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे आदेशों और निर्देशों को पूरा प्रभाव देने की आवश्यकता है। ओ

20. द्वारा पारित आदेशों के संचालन और प्रभाव के संबंध में

इस न्यायालय ने 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में, यह ध्यान देने योग्य है कि भले ही

इस न्यायालय ने 23.03.2020 दिनांकित प्रारंभिक आदेश में यह प्रावधान किया कि सभी कार्यवाहियों में सीमा की अवधि, चाहे वह सामान्य या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित हो, चाहे वह माफ करने योग्य हो या नहीं, डब्ल्यू. ई. एफ. 15.03.2020 से विस्तारित होगी, लेकिन मामले को 23.09.2021 पर समाप्त करते समय, इस न्यायालय ने विशेष रूप से 15.03.2020 से अवधि को हटाने के लिए प्रावधान किया।

' इस परिदृश्य को पूरा करने के लिए, हम संकेत दे सकते हैं कि इस मामले को सुनने के बाद भी, वायरस के एक नए प्रकार के प्रसार के साथ कोविड-19 के मामलों में फिर से वृद्धि हुई थी। कोविड मामलों की संख्या में भारी वृद्धि ने इस न्यायालय को 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में 2022 की संख्या 21 वाले आवेदन पर फिर से मामले पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। और 10.01.2022 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने फिर से 23.03.2020 के मूल आदेश को बहाल किया और पिछले आदेशों की निरंतरता में, आगे निर्देश दिया है कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि सीमा के उद्देश्यों के लिए बाहर रखी जाएगी जो सभी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष

कानूनों के तहत निर्धारित की जा सकती है। जो भी हो, वर्तमान उद्देश्य के लिए 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में नए आदेश को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है।

कार्यवाही, अनिवार्य रूप से कारण यह है कि ऐसी अवधि द्वारा स्वीकार की जाती है कानून वह होना जो वादी की ओर से किसी भी शिथिलता के लिए संदर्भित नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के बल या अन्य से संबंधित है

कानून की आवश्यकताएँ (जैसे सरकार के खिलाफ मुकदमे के लिए अनिवार्य दो महीने का नोटिस)। बहिष्कृत अवधि, एक आवश्यक परिणाम के रूप में, निर्धारित अवधि से अधिक समय का विस्तार करती है।

20.1 . जिस उद्देश्य के लिए इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण शक्तियों का प्रयोग किया था और 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में समय-समय पर आवश्यक आदेश जारी किए थे, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अवधि की गणना में दिनांकित 23.09.2021 आदेश में अंततः परिकल्पित अवधि को बाहर रखा जाना आवश्यक है।

लिखित विवरण दाखिल करने के लिए भी और उन मामलों में भी जहां देरी अन्यथा क्षम्य नहीं है। यह दोहराया जाता है कि 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में आदेश असाधारण उपायों के थे।

असाधारण परिस्थितियों और उनके संचालन को कानून के सामान्य संचालन के संदर्भ में कम नहीं किया जा सकता है।

20.2 . दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में 23.03.2020,06.05.2020,10.07.2020,27.04.2021 और 23.09.2021 पर पारित आदेश।

2020 इस पर संदेह करने के लिए कुछ भी न छोड़ें कि विशेष और असाधारण उपाय

महामारी द्वारा डाली गई चुनौतियों के कारण; और लिखित आवेदन दाखिल करने के लिए निर्धारित अवधि के संबंध में उनकी प्रयोज्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है। बयान। यह मान लेना अवास्तविक और अतार्किक होगा कि जबकि इस न्यायालय ने वाद की स्थापना के लिए अवधि को हटाने का प्रावधान किया है और इसलिए, अन्यथा सीमा से परे दायर किया गया मुकदमा (यदि सीमा 15.03.2020 से 02.10.2021 के बीच समाप्त हो गई थी) अभी भी 03.10.2021 से 90 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है, लेकिन लिखित बयान दाखिल करने की अवधि, यदि उस अवधि के दौरान समाप्त हो जाती है, तो प्रतिवादी के खिलाफ काम करना होगा।

20.3 . इसलिए, 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि समय सीमा

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 15 के तहत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले कि 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित आदेशों का दायरा और अधिक विस्तृत किया गया और दिनांकित 08.03.2021 और 23.09.2021 आदेशों में निर्दिष्ट, इस न्यायालय ने एसएस ग्रुप प्राइवेट के मामले में एक समान परिदृश्य पर विचार किया। लिमिटेड (ऊपर), 17.12.2020 पर तय किया गया। उस मामले में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38 (2) (ए) के संदर्भ में, लिखित आवेदन दाखिल करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है।

विवरण 12.08.2020 पर समाप्त हो गया और 15 दिनों की विस्तार योग्य अवधि भी 27.08.2020 पर समाप्त हो गई। मान लीजिए, लिखित बयान 31.08.2020 पर दाखिल किया गया था, जो 45 दिनों की अनुमेय अवधि से अधिक था। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में निर्णय दिया है। पहाड़ी बहुउद्देशीय शीत भंडारण (पी) लिमिटेड : (2020) 5 एस. सी. सी. 757 ने कहा कि उपभोक्ता न्यायालय के पास शिकायत का जवाब दाखिल करने का समय 45 दिनों से आगे बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। कानून के लागू प्रावधानों के साथ-साथ संविधान पीठ के अधिदेश पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने तब तक एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित आदेशों को संदर्भित किया।

2020 और अभिनिर्धारित किया कि लिखित कथन दाखिल करने की सीमा को बढ़ाया गया माना जाएगा। यह न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित करता हैः -

27.08.2020 . यह अवधि तब समाप्त हो गई जब इस न्यायालय द्वारा 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. (सी) संख्या 3 में पारित दिनांक 23.03.2020 का आदेश जारी था। 13 : उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष वर्तमान कार्यवाही में लिखित बयान दाखिल करने की सीमा को बढ़ाया गया माना जाएगा क्योंकि दिनांक 1 के आदेश से यह स्पष्ट है कि सीमा की विस्तारित अवधि सभी याचिकाओं/आवेदनों/मुकदमों/अपीलों और अन्य सभी कार्यवाहियों पर लागू थी। इस प्रकार, के समक्ष लंबित कार्यवाही में लिखित बयान दाखिल करने में चार दिनों की देरी

राष्ट्रीय आयोग अनुमति पाने का हकदार है, और तदनुसार है

अनुमति है "।

22. उपरोक्त कथन प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में दो अन्य निर्णयों पर भरोसा किया है।

हम प्रकाश कॉरपोरेट्स बनाम। डी. ई. वी. ई. परियोजनाएँ सीमित [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

यह पता लगाने के लिए कि क्या वे आवेदन करेंगे और प्रत्यर्थी के पक्ष में कोई मामला बना सकते हैं।

22.1 . एस. कासी (उपरोक्त) का मामला अभियुक्त-अपीलार्थी की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका से संबंधित है क्योंकि आरोप पत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) द्वारा अनुमत समय के भीतर दायर नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में दिनांकित उक्त आदेश सी. आर. पी. सी. की धारा 167 (2) के तहत निर्धारित अवधि सहित सीमा की अवधि निर्धारित करने वाले सभी प्रावधानों को समाप्त कर देगा। इस न्यायालय ने उक्त स्वतः संज्ञान याचिका में आदेश पारित करने के कारणों और उन कठिनाइयों का उल्लेख किया जिन पर ध्यान देने की मांग की गई थी; और पाया कि एक जांच अधिकारी को ऐसी कठिनाइयों से नहीं रोका गया था जिनका सामना वकीलों और वादियों को करना पड़ा था; और जांच अधिकारी प्रस्तुत कर सकता था

मजिस्ट्रेट (प्रभारी) के समक्ष आरोप पत्र। इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः -

" 17 : याचिकाएं/आवेदन/मुकदमे/अपील/दायर करने की सीमा

अन्य सभी कार्यवाहियों को वकीलों/वादियों को संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में ऐसी कार्यवाहियों को दायर करने के लिए शारीरिक रूप से आने से रोकने के लिए बढ़ाया गया था। यह आदेश वादियों/वकीलों की सुरक्षा के लिए पारित किया गया था। जिन याचिकाओं/आवेदनों/मुकदमों/अपीलों/अन्य सभी कार्यवाहियों का समय हो जाएगा, वे शारीरिक रूप से आने में सक्षम नहीं होंगे

ऐसी कार्यवाही दायर करने के लिए। यह आदेश वादियों के लाभ के लिए था जिन्हें किसी अधिकार के लिए लागू क़ानून के अनुसार कानूनी उपाय करना पड़ता है। सीमा का कानून उपचार को रोकता है लेकिन अधिकार को नहीं। जब इस न्यायालय ने याचिकाओं/आवेदनों/मुकदमों/अपीलों/अन्य सभी कार्यवाहियों को दायर करने की सीमा बढ़ाने के लिए उपरोक्त आदेश पारित किया, तो आदेश उन लोगों के लाभ के लिए था जिन्हें

उपचार लें, जिसका उपचार समय से बाधित हो सकता है क्योंकि वे इस तरह की कार्यवाही दायर करने के लिए शारीरिक रूप से आने में असमर्थ थे। 23.03.2020 दिनांकित आदेश को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि इसका कभी भी पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि बढ़ाने का इरादा था जैसा कि विचार किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत। जाँच अधिकारी (प्रभारी) मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत/दाखिल कर सकता था। इसलिए, लॉकडाउन के दौरान भी और जैसा कि कई मामलों में किया गया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर/प्रस्तुत किया जा सकता था

(प्रभारी) और जांच अधिकारी को निर्धारित अवधि के भीतर भी आरोप पत्र दाखिल करने/जमा करने से नहीं रोका गया था। मजिस्ट्रेट (प्रभारी) के समक्ष। "[2022] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22.1. 1 . वास्तव में, उक्त मामले में, इस न्यायालय ने यह भी देखा कि उसी उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने पहले ही यह अभिनिर्धारित कर दिया था कि

आई. डी. 1 दिनांकित आदेश में उन अपराधों को शामिल नहीं किया गया था जिनके लिए धारा 167 सी. आर. पी. सी. लागू थी, लेकिन, आक्षेपित आदेश में, उसी उच्च न्यायालय के अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश ने समन्वित पीठ के पहले के फैसले के विपरीत विचार लिया; और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य पाया गया। किसी भी मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के लिए संदर्भित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले से संबंधित उक्त निर्णय और

तब, एक जांच अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित, एक दीवानी मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दायर करने के मामले से संबंधित वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।

22.2 . जहाँ तक सगुफा अहमद (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का निर्णय है

संबंधित है, उक्त मामले से संबंधित कुछ प्रासंगिक कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उस मामले में, अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी कंपनी को बंद करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की गुवाहाटी पीठ के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। याचिका को 25.10.2019 पर खारिज कर दिया गया था।

अपीलकर्ताओं ने केवल 21 या 3 पर आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया और 2 पर अपने वकील के माध्यम से आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष केवल 20.07.2020 पर देरी की माफी के लिए एक आवेदन के साथ वैधानिक अपील दायर की। अपीलीय न्यायाधिकरण ने देरी को माफ करने के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसके पास 45 दिनों की अवधि से अधिक की देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है। नतीजतन, याचिका भी खारिज कर दी गई। उस मामले में, यह निर्विवाद था कि 19.12.2019 से गिनती करते समय भी, 45 दिनों की अवधि 02.02.2020 पर समाप्त हो गई और 45 दिनों की एक और अवधि, जिसके लिए अपीलीय न्यायाधिकरण देरी को माफ कर सकता था, भी 18.03.2020 पर समाप्त हो गई। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, अपीलकर्ताओं ने उपरोक्त आदेश दिनांक 23.03.2020 पर भरोसा किया। इस न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में उपरोक्त आदेश के तहत शरण लेने के हकदार नहीं थे क्योंकि जो बढ़ाया गया था वह केवल सीमा की अवधि थी न कि वह अवधि जिसके लिए कानून द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए देरी को माफ किया जा सकता था। इस न्यायालय ने इस प्रकार कहाः -

" 17. ..... इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश द्वारा जो बढ़ाया गया था वह केवल "सीमा की अवधि" थी न कि अब तक की अवधि।

विवेक का प्रयोग करते हुए किस देरी को माफ किया जा सकता है कानून द्वारा प्रदत्त। इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का उद्देश्य सतर्क वादियों को लाभान्वित करना था जिन्हें प्रकाश निगम बनाम के कारण रोका गया था।

डी. ई. वी. ई. परियोजनाएँ सीमित [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

महामारी और लॉकडाउन के लिए, सामान्य या विशेष द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू करने से कानून। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि सीमा का नियम दो लैटिन मैक्सिम में अपनी जड़ पाता है, जिनमें से एक सतर्कता और गैर है।

डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनियंट जिसका अर्थ है कि कानून केवल उन लोगों की सहायता करेगा जो अपने अधिकारों के बारे में सतर्क हैं न कि उन लोगों की जो अपने अधिकारों के बारे में सतर्क हैं।

जो उनके ऊपर सोते हैं।

22.2. 1 . ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक यह है कि सगुफा अहमद मामले में उक्त निर्णय 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था।

यह न्यायालय इस न्यायालय की अन्य 3-न्यायाधीश पीठ द्वारा 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में दिनांकित 08.03.2021 और 27.09.2021 के उपरोक्त अंतिम आदेशों से बहुत पहले। उन अंतिम आदेशों में, इस न्यायालय ने न केवल सीमा की अवधि के विस्तार का प्रावधान किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी मुकदमे, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, 15.03.2020 से 02.10.2021 तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा। बहिष्करण का ऐसा प्रस्ताव, जो बाद के आदेशों में आया था, सगुफा अहमद (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के समक्ष नहीं था, जिसका निर्णय बहुत पहले यानी 18.09.2020 पर लिया गया था। 22.2. 2 . इसके अलावा, सगुफा अहमद (उपरोक्त) के मामले में विस्तारित अवधि 18.03.2020 तक थी और इस अदालत ने पाया कि लॉकडाउन केवल 24.03.2020 पर लगाया गया था और 18.03.2020 पर या उससे पहले अपील दायर करने में कोई बाधा नहीं थी। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां लिखित विवरण दाखिल करने के लिए निर्धारित विस्तारित समय 06.05.2021 पर समाप्त हो गया है। यह प्रत्यर्थी का मामला नहीं है और न ही कोई है

22.2. 3 . बाद में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीश पीठ द्वारा 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 (और उसमें 2021 का एम. ए. संख्या 665) में पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, तथ्यों और आसपास के कारकों के मौलिक अंतर को भी ध्यान में रखते हुए, सगुफा अहमद में उक्त निर्णय, हमारे विचार में, वर्तमान मामले में भी लागू नहीं होता है। 23. प्रत्यर्थी की ओर से इस निवेदन पर बहुत जोर दिया गया है कि अपीलार्थी नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित हो रहा था।

और इसलिए, 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 3 में पारित आदेशों का लाभ नहीं उठा सकते। यह सच है कि अपीलार्थी ने वास्तव में उपस्थिति का कारण बना था अदालत में समन के जवाब में और अपनी [2022] 8 एस. सी. आर. दाखिल करने के लिए समय मांगा।

लिखित बयान लेकिन साथ ही, यह भी निर्विवाद है कि प्रासंगिक समय पर, महामारी की दूसरी लहर उबल रही थी और फिर, इसने देश को अप्रत्याशित तीव्रता और क्रूरता से घेर लिया। फिर, 27.04.2021 पर, इस न्यायालय ने 2020 के एसएमडब्ल्यूपी नंबर 3 में दिनांकित 23.03.2020 के आदेश के संचालन को बहाल किया। इन सभी कारकों को एक साथ रखते हुए, हम प्रत्यर्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि पूर्व उपस्थिति या स्थगन के लिए प्रार्थना के कारण,

प्रतिवादी-अपीलार्थी इस न्यायालय द्वारा पारित असाधारण आदेशों के तहत उपलब्ध छूट का हकदार नहीं होगा।

जारी किए गए प्रशासनिक आदेश का प्रभाव और प्रभाव

उच्च न्यायालय द्वारा 24. उपरोक्त के अलावा, हमारे विचार में, आक्षेपित आदेशों को एक अन्य प्रमुख कारक के लिए अनुमोदित नहीं किया जा सकता है, जो निहितार्थ का है।

25. जैसा कि देखा गया है, 15.04.2021 पर, निचली अदालत ने विशेष रूप से दो आवेदनों पर बहस के लिए मामले को तय किया थाः वह एक है धारा 10 सी. पी. सी. के संदर्भ में वाद कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाले अपीलार्थी का आवेदन और दूसरा उनके द्वारा दायर आवेदन है।

आदेश XXXVIII नियम 5 सी. पी. सी. के संदर्भ में निर्णय से पहले कुर्की के अंतरिम निर्देशों की मांग करने वाला प्रतिवादी। हालाँकि, 15.04.2021 पर, निचली अदालत उक्त दो आवेदनों पर पक्षों को नहीं सुन सकी और मामले को अपने स्वयं के संदर्भ में 22.06.2021 पर स्थगित कर दिया। प्रशासनिक आदेश दिनांक 07.04.2021 और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक आदेश दिनांक 05.04.2021 भी। हमने उच्च न्यायालय के उक्त प्रशासनिक आदेश के प्रासंगिक भाग को पहले भी पुनः प्रस्तुत किया है और यह स्पष्ट है कि इसका प्रभाव महामारी को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य में कटौती करने का था; और निर्देशों में कहा गया थाः

अनिवार्य रूप से तत्काल प्रकृति के मामलों के उद्देश्य के लिए, काम करने के घंटों के संदर्भ में भी, सीमित अदालत के कामकाज का होना। विषय वाद में कार्यवाही न तो तात्कालिक प्रकृति की थी और न ही निचली अदालत द्वारा इस पर विचार किया गया था। यही कारण था कि 15.04.2021 पर, निचली अदालत ने मामले को केवल दो महीने से आगे के लिए स्थगित कर दिया।

25.1 . यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दिनांक 05.04.2021 के उक्त आदेश के संचालन के दौरान, अधीक्षण के तहत अधीनस्थ न्यायालय

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (जिसमें विषय वाद से संबंधित विचारण न्यायालय शामिल है) को प्रकाश निगम बनाम में कार्यशील नहीं माना जा सकता था।

सामान्य तरीके से और पूरे सामान्य कार्य दिवसों और घंटों के लिए। जिस अवधि के दौरान उक्त आदेश दिनांक 05.04.2021 चालू था, उसे केवल गैर-न्यायिक माना जा सकता था, अर्थात वे दिन जब अदालतें आम तौर पर नहीं बैठती हैं या व्यवसाय नहीं करती हैं, विशेष रूप से

सीमा की किसी भी अवधि के संबंध में। पी. रामनाथ अय्यर के लॉ लेक्सिकन 1 1 में अन्य बातों के साथ-साथ गैर-न्यायिक मृत्यु की अवधारणा को समझाया गया है।

निम्नलिखित शर्तें हैं: -

" नहीं मरता है। (लात.) एक दिन जिसे कानून द्वारा एक माना जाता है

जिसे कोई न्यायिक कार्य नहीं किया जा सकता है, या कानूनी परिश्रम का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(ट्रेनर)

जिस दिन अदालत की कार्यवाही से छूट दी जाती है, जैसे कि छुट्टी या रविवार। एक दिन जिस पर न्यायालय आम तौर पर नहीं बैठते हैं या कार्य नहीं करते हैं;

एक दिन जिस पर सामान्य व्यवसाय कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता है।

एक दिन जिस पर एक विधि-न्यायालय आयोजित नहीं किया जाता है।

एक ऐसा दिन जिसे किसी उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाता है। उदाहरण के लिए, शनिवार

और रविवार को कार्य सप्ताह के दिनों के रूप में नहीं गिना जाता है।

X

XX

XXX

XXX

दिन-दिन जिनके दौरान न्यायालय कोई कार्य नहीं करते हैं रविवार या कानूनी छुट्टियों के रूप में। (हैवन्स वी। स्टाइल्स, 56 एल. आर. ए. 736)।

यह अक्सर कहा जाता है कि रविवार "गैर न्यायिक" होता है, लेकिन यह

इसका मतलब है कि केवल वह प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी या निष्पादित नहीं की जा सकती है या

वापस लौट आए, और अदालतें आमतौर पर उस दिन नहीं बैठती हैं। ऐसा नहीं है।

इसका मतलब है कि उस दिन कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके विपरीत, यह

प्राधिकार की पुस्तकों में रखा गया है जो राजद्रोह, अपराध के लिए वारंट करता है और शांति का उल्लंघन उस दिन जारी किया जा सकता है और निष्पादित किया जा सकता है,

(राज्य वी। रिकेट्स, 74 एन. सी. 187,193) "

25.2 . सीमा की अवधारणा एक दिन में समाप्त नहीं होती है

जब न्यायालय बंद है, या बंद माना जाता है, तो सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 में सटीक रूप से निहित है जो निम्नानुसार हैः -

" 4. निर्धारित अवधि की समाप्ति जब न्यायालय बंद हो। - कहाँ? किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है

11 5 टी एड। , खण्ड. 2 , पी।

जिस दिन न्यायालय बंद होता है, उस दिन वाद, अपील या आवेदन हो सकता है -

जिस दिन न्यायालय फिर से खुलता है, उस दिन स्थापित किया जाए, प्राथमिकता दी जाए या बनाया जाए।

इस खंड के अर्थ के भीतर दिन यदि के किसी भी भाग के दौरान अपने सामान्य काम के घंटे उस दिन बंद रहते हैं।

(जोर दिया गया)

25.2. 1 . इस प्रकार यह गुहा से परे है कि यदि किसी के लिए निर्धारित अवधि

मुकदमा/अपील/आवेदन उस दिन समाप्त हो जाता है जिस दिन न्यायालय पर विचार किया जाता है

' बंद होने पर इस तरह की कार्यवाही फिर से शुरू होने वाले दिन शुरू की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 का स्पष्टीकरण

यह स्पष्ट करता है कि जिस दिन न्यायालय भौतिक रूप से बंद नहीं हो सकता है, उसे बंद माना जाएगा, यदि अपने सामान्य कार्य घंटों के किसी भी हिस्से के दौरान, वह उस दिन किसी विशेष कार्यवाही या काम के लिए बंद रहता है।

25.3 . जैसा कि दिनांकित आदेश के प्रासंगिक भागों से देखा गया है

05.04.2021 (पैराग्राफ 15 के अनुसार) कि प्रासंगिक समय पर, रायपुर में बारी-बारी से सीमित संख्या में न्यायालयों को काम करना था और वह भी, 11 से काम के घंटों में कटौती के साथः 00 ए. एम. से 2: 00 पी. एम. ; और उन्हें केवल जमानत और रिमांड मामलों के लिए पूर्ण कार्य घंटों के दौरान काम करना था। प्रासंगिक समय पर प्रचलित स्थिति और विषय-वस्तु के साथ-साथ अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश की भावना को ध्यान में रखते हुए, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है।

06.04.2021 , विचाराधीन न्यायालय को सामान्य रूप से कार्य करने वाला नहीं माना जा सकता था और उक्त प्रशासनिक आदेश के संचालन की अवधि को उस न्यायालय में कार्यवाही में कुछ भी करने के लिए निर्धारित अवधि के उद्देश्य से केवल गैर-न्यायिक माना जा सकता था। यह इंगित नहीं किया गया है कि क्या 06.05.2021 पर, उक्त आदेश दिनांकित 05.04.2021 को वापस ले लिया गया था और स्थिति इतनी सामान्य हो गई थी कि अपीलार्थी को निचली अदालत में उपस्थित होना चाहिए था और लिखित बयान दायर करना चाहिए था। ऐसे किसी भी प्रस्ताव के बिल्कुल विपरीत, की ओर से प्रस्तुत करना

अपीलार्थी, यहाँ तक कि 22.06.2021 पर भी, अपीलार्थी फर्म के भागीदारों के साथ-साथ उनके वकील और उनके परिवारों की बीमारियों के बारे में था, जहाँ वकील ने स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण अपनी माँ को खो दिया था। कोई भी प्रस्ताव, जो यह सुझाव देता है कि विचारण न्यायालय के ऐसे गैर-नियमित-कार्य

दिवसों के दौरान, और मानवता के लिए बल्कि निराशाजनक दिनों के दौरान, लिखित बयान दायर किया जाना चाहिए था, केवल अव्यावहारिक होने के रूप में अस्वीकार किया जा सकता है और बल्कि

अविवेकी।

प्रकाश कॉरपोरेट्स बनाम. डी. ई. वी. ई. परियोजनाएँ सीमित [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

विचारण न्यायालय द्वारा प्रक्रिया की एक और त्रुटि

आदेश XXXVIII सी. पी. सी. के संदर्भ में निर्णय से पहले कुर्की के निर्देश। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी द्वारा दायर दोनों आवेदन लंबित रहे और 15.03.2021 पर, निचली अदालत ने इन दोनों आवेदनों पर बहस के लिए मामले को 15.04.2021 तक स्थगित कर दिया। 15.04.2021 पर, कोई कार्य नहीं किया जा सका और इन पर बहस के लिए मामले को फिर से 22.06.2021 पर स्थगित कर दिया गया। अनुप्रयोग। यहां तक कि जब मामला आई. डी. 2 पर उठाया गया था और निचली अदालत ने लिखित बयान दाखिल करने के लिए एक और अवसर के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था, तब भी उसने उक्त आवेदनों पर विचार नहीं किया और मामले को आई. डी. 1 पर स्थगित कर दिया। हम नहीं हैं।

अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन के गुण-दोष पर टिप्पणी करना

धारा 10 सी. पी. सी. लेकिन, यह लाभप्रद नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के आवेदन पर, अपनी प्रकृति से, मुकदमे में किसी भी अन्य कदम से पहले तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। इस बात पर शायद ही कोई जोर देने की आवश्यकता है कि यदि धारा 10 के तहत दायर आवेदन में की गई प्रार्थना को मंजूरी दी जानी थी, तो विषय मुकदमे के मुकदमे को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाया जाना था। हमें यह दिलचस्प लगता है कि एक ओर, निचली अदालत ने खुद मामले को उस आवेदन पर विचार करने के लिए दूसरे आवेदन के साथ पोस्ट किया। प्रतिवादी लेकिन उन्हें 22.06.2021 पर नहीं लिया और लिखित बयान दाखिल करने के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करने के बाद मामले को स्थगित कर दिया। यहां तक कि जब ट्रायल कोर्ट ने लिखित बयान दाखिल करने के कदम को समय सीमा और में बताए गए परिणामों को देखते हुए महत्वपूर्ण माना

कानून के अनुसार, इस बात का कोई औचित्य नहीं था कि निचली अदालत ने सी. पी. सी. की धारा 10 के तहत आवेदन को एक साथ विचार के लिए नहीं लिया।

26.1 . हम निर्विवाद सिद्धांतों को दोहराने के लिए विवश हैं

कि प्रक्रिया के नियम अनिवार्य रूप से न्याय के उद्देश्य को कम करने के लिए हैं और कार्यवाही के संचालन में पक्षों को दंडित करने के लिए नहीं हैं। बेशक, सामान्य परिस्थितियों में, आदेश V के नियम 1 (1), आदेश VIII के नियम 1 और आदेश VIII के नियम 10 के आदेश, जो एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद पर लागू होते हैं, इस तरह से काम करते हैं कि [2022] 8 एस. सी. आर. की तारीख से 120 वें दिन की समाप्ति के बाद।

समन की सेवा में, प्रतिवादी अपना लिखित बयान प्रस्तुत करने का अधिकार खो देता है और न्यायालय इसे रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं दे सकता है, लेकिन इन प्रावधानों का उद्देश्य एक ऐसे प्रतिवादी के संबंध में परिणाम प्रदान करना है जो प्रक्रिया के नियमों द्वारा परिकल्पित मुकदमे की प्रगति में अपनी भूमिका निभाने से चूक जाता है और जिसका उद्देश्य धारा 10 की तरह सी. पी. सी. के अन्य सभी प्रावधानों को ओवरराइड करना नहीं है। ये टिप्पणियां इस कारण से आवश्यक हैं कि ऐसा लगता है कि विचारण न्यायालय ने अपेक्षित अभियान के साथ लंबित आवेदनों से निपटने की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर दिया है। हम और नहीं कहते हैं।

निष्कर्ष

27. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए हम निचली अदालत द्वारा पारित 22.06.2021 दिनांकित आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पारित 09.07.2021 दिनांकित आदेश को मंजूरी देने में असमर्थ हैं। हमारे विचार में, प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा पहले से तैयार और नोटराइज्ड लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट को इसके बाद कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाना चाहिए; और उस मामले के लिए, बिना किसी देरी के लंबित आवेदनों से निपटने के लिए।

28. तदनुसार, इस अपील की अनुमति है; वाणिज्यिक न्यायालय (जिला स्तर), नवा द्वारा पारित दिनांक 22.06.2021 के विवादित आदेश।

रायपुर, छत्तीसगढ़ ने 2021 के दीवानी मुकदमा संख्या 1-बी के साथ-साथ 2021 के डब्ल्यू. पी. संख्या 312 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित 09.07.2021 के आदेश को भी दरकिनार कर दिया है। प्रतिवादी-अपीलार्थी द्वारा 07.07.2021 पर नोटरी किए गए लिखित बयान को रिकॉर्ड में लेने का आदेश दिया जाता है।

अभिलेख पर लिखित कथन लेने के बाद, विचारण न्यायालय कानून के अनुसार वाद के साथ आगे बढ़ेगा और उस मामले के लिए, वाद में कोई अन्य कदम उठाने से पहले लंबित आवेदनों पर विचार करेगा।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

(शेवाली मोंगा, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)